

दिनांक 12/09/2017 की व्यापार सूचना सं: क्यू.सी.टी-2016-2017-000015

अनार के निर्यात हेतु प्रक्रिया



कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण
तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई बिल्डिंग, 3 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र,
अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली - 110016
दूरभाष: 26861502, 26513219 फैक्स: 26519259 ई-मेल: headq@apeda.gov.in
वेबसाइट: www.apeda.gov.in

अनार के निर्यात हेतु प्रक्रिया

पृष्ठभूमि

यह आवश्यक है कि आयातक देशों के निर्धारित स्तर से अधिक अनार में एगोकेमिकल्स और किसी भी अन्य दूषित पदार्थों के अवशिष्टों की पहचान / उपस्थिति की संभावना को समाप्त करने के लिए उचित निगरानी के माध्यम से यथोचित मॉनिटरिंग की जाए।

तदनुसार आयातक देशों के खाद्य सुरक्षा मानदण्डों के साथ अनुपालन करने वाले निर्यात हेतु अनार की खेती में उपयोग किए जाने वाले कृषि रसायनों की जांच / सत्यापन करना आवश्यक है। फाइटो सेनेटरी प्रमाण-पत्र (पी.एस.सी) को जारी करने से पहले एगमार्क मानकों के अनुसार अनार को ग्रेड देना भी आवश्यक है। कार्यान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए , अनार के निर्यात के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाए:

1	उद्देश्य	1.1	फॉर्म और प्लॉट स्तर पर निर्यात योग्य अनारों में एगोकेमिकल्स के अवशिष्टों को नियंत्रित करने की प्रणाली को स्थापित करना।
		1.2	अनार फॉर्मों या प्लॉट्स और पैकहाउसों की मिट्टी और पानी में रासायनिक अवशिष्टों को मॉनिटर करना।
		1.3	अनार की खेती के दौरान और साथ ही साथ अन्य रसायनों को ट्रेस करने के लिए अनार राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र (एन.आर.सी.पी) द्वारा अनुशंसित और/ या सी.आई.बी एंड आर.सी द्वारा पंजीकृत रसायनों के अवशिष्टों को नियंत्रित करने के लिए निगरानी प्रणाली को स्थापित करने के द्वारा निर्यात की सुविधा उपलब्ध करना।
		1.4	इन प्रक्रियाओं के माध्यम से स्थापित अवशेषों के स्तर के साथ-साथ एक आंतरिक चेतावनी सूचना जारी करने की स्थिति में सुधारात्मक कार्रवाई के लिए एक प्रणाली स्थापित करना।

		1.5	यह सुनिश्चित करना कि भारत से यूरोपीय संघ (ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन , स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम) के साथ साथ यूरोपीय संघ के सुरक्षा मानदण्डों का पालन करने वाले अन्य देशों द्वारा निर्धारित स्तर से अधिक में कृषि रसायनों के अवशेषों का परीक्षण न किया जाए।
		1.6	यूरोपीय संघ बाजार के साथ-साथ यूरोपीय संघ के खाद्य सुरक्षा मानदंडों का पालन करने वाले अन्य देशों के लिए गुणवत्ता वाले अनार के निर्यात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विपणन और निरीक्षण विभाग (डी.एम.आई) द्वारा एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण पत्र (सी.एस.जी) के अनुदान के माध्यम से अनार के ग्रेड वर्गीकरण प्रदान करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना।
2	स्कोप	2.1	सभी अनार के फॉर्म और प्लॉट्स जो निर्यात के लिए अनार का उत्पादन करने के इच्छुक हैं, निर्यातक, एपीडा मान्यता प्राप्त पैक हाउस , एपीडा द्वारा सैम्पलिंग , विश्लेषण और ग्रेडिंग के लिए अधिकृत प्रयोगशालाएं और उनमें संलग्न कार्मिक , एन.आर.एल , एन.आर.सी अनार, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड , डी.एम.आई, कृषि / बागवानी के संबंधित राज्य सरकार के विभाग , भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर) और किसानों, उत्पादकों और निर्यात के लिए खेती करने वाले अनार के निर्यातकों को किसी भी रूप में विस्तार प्रदाता सहित अन्य एजेंसियां / हितधारक।
		2.2	प्रोडक्ट रिकॉल , सिंगल विंडो क्लियरेंस और पेपर वर्क को कम करने के लिए कार्यान्वित की गई प्रक्रियाओं की ट्रेसिंग और ट्रैकिंग के उद्देश्य के साथ अनारनेट के माध्यम से वेब-आधारित ट्रेसबिलिटी की सुविधा उपलब्ध करना।

3	निर्यात के लिए अनार उत्पादित करने वाले फॉर्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया	3.1	प्रत्यक्ष खेती के संचालन को नियंत्रित करने वाला प्रत्येक किसान / पट्टेदार किसान / पट्टेदार किसान संगठन जो निर्यातक के रूप में अनार को प्रत्यक्ष रूप से निर्यात या आपूर्ति करने का इच्छुक है उसे संलग्नक-1 में दिए गये अनार फार्मों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के आधार संबंधित जिला अधीक्षक कृषि / बागवानी अधिकारी को अपने फॉर्म के पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
		3.2	किसान / पट्टेदार किसान / पट्टेदार किसान संगठन से आवेदन प्राप्त करने के पश्चात जिला अधीक्षक कृषि / बागवानी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की यथार्थता की जांच करने के लिए भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद ही इस दस्तावेज के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य रिकॉर्ड की अपेक्षा जिला अधीक्षक कृषि / बागवानी कार्यालय द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। वह यह भी सत्यापित करेंगे कि प्लॉट निर्यात के लिए निलंबित / रद्द तो नहीं हैं। प्लॉट में किसान से कृषि / बागवानी कार्यालय द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र लिया जाएगा। संबंधित अधिकारी रिकॉर्ड में दर्ज किसी भी गलत / अधूरी जानकारी के लिए और किसान को जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए सीधे जिम्मेदार होगा।
		3.3	प्रत्येक किसान / पट्टेदार / पट्टेदार संगठन द्वारा संलग्नक-2 के अनुसार “ प्लॉट पंजीकरण और फील्ड एग्नोकेमिकल एप्लिकेशन रिकॉर्ड ” शीर्षक के प्रारूप के अनुसार पंजीकरण और एग्नोकेमिकल एप्लिकेशन रिकॉर्ड बनाए रखा जाए। किसान / पट्टेदार / पट्टेदार संगठन / बागवानी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाए और अपना पूरा पता लिखा जाए। यह अनिवार्य है। यदि किसान / पट्टेदार / पट्टेदार संगठन द्वारा संलग्नक-2 को पूरा नहीं किया गया है और प्रयोगशाला को एक प्रति उपलब्ध की गई है तो प्रयोगशालाएं , कृषि रसायन

			अवशिष्टों के लिए सैम्पलों का परीक्षण करने में सक्षम नहीं होंगी।
		3.4	कृषि/बागवानी अधिकारी की ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि संलग्नक-2 में अपेक्षित जानकारी समान रूप से और पूर्ण रूप से अनुरक्षित है।
		3.5	संलग्नक -2 में आस-पास के खेतों / प्लॉट के विवरण के साथ लेआउट का वर्णन किया जाए। पहचान के निर्देश सहित विस्तृत विवरण या बेंचमार्क देते हुए लेआउट का एक रेखाचित्र/स्केच संलग्न किया जाए जिसमें देर से पंजीकृत किए गए प्लॉटों का विवरण हो। जहां लागू हो वहां संलग्नक (अनुच्छेद 3.6 , 3.13 और 4.3) को संलग्न किया जाए। रेखाचित्र/स्केच पर कृषि / बागवानी अधिकारी द्वारा अपने आधिकारिक मुहर के नीचे भी हस्ताक्षर किया जाए।
		3.6	पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत प्लॉट के रेखाचित्र/लेआउट को तैयार करने के लिए कृषि / बागवानी अधिकारी द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है: क.) प्लॉट की दिशाओं (उत्तर, पूर्व आदि) को इंगित करें। ख.) जहां प्लॉट के अन्य प्लॉट (अपंजीकृत) हैं या अन्य फ़सल उग रही है) वहां सड़कों, नागरिक संरचनाओं (झोपड़ी, घर, रेलवे क्रॉसिंग , इलेक्ट्रिकल सुपर स्टेशन , आदि), नहरों, फुट-पाथ, जैसे बेंचमार्क इंगित करें, और ग.) अन्य किसानों के खेतों को स्पष्ट रूप से इंगित करें।
		3.7	प्रत्येक खेत को प्लॉट के स्तर पर एक पंजीकरण संख्या दी जाएगी, जो कृषि / बागवानी अधिकारी के प्रभार में होगी, जिसका मुख्यालय खेत के पास है। फार्म / प्लॉट को केवल निम्नलिखित कोड प्रारूप को अपनाकर एक

			पंजीकरण संख्या आवंटित की जाएगी:					
			राज्य	जिला	तालुक/मंडल	उत्पाद	फार्म सं.	प्लॉट सं.
			AA	11	22	33	4444	00
		3.8	प्लॉट पंजीकरण प्रमाण-पत्र को अनारनेट के माध्यम से जारी किया जाएगा।					
		3.9	4 हैक्टेयर तक के पंजीकरण प्रयोजन को एक इकाई माना जाएगा और 4 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र को प्रत्येक 4 हैक्टेयर वर्षों के लिए A, B, C आदि के साथ एक ही पंजीकरण संख्या दी जाएगी।					
		3.10	यदि फार्म में केवल एक ही प्लॉट है , तब भी पंजीकरण संख्या अंत में "00" का उल्लेख करके स्तर तक होगी जैसे AA-11 22 33 4444 00					
		3.11	फार्म के प्रत्येक प्लॉट को पृथक रूप से पंजीकृत किया जाएगा जैसे AA-11 22 33 4444 01 फार्म को निर्यात के लिए उपयोग करने का प्रयोजन नहीं है। उसे/उन्हें एक ही प्रक्रिया द्वारा पंजीकृत किया जाए।					
		3.12	पंजीकरण प्रमाण-पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल अधिकृत सरकारी अधिकारियों द्वारा नियत सत्यापन और उनके हस्ताक्षर के अंतर्गत किया जाए।					
		3.13	पंजीकरण एक वर्ष तक के लिए मान्य है। अतः सभी पंजीकृत अनार किसानों को हर वर्ष फार्म पंजीकरण को नवीकृत करना होगा और उन्हें प्लॉट के नवीकरण का एक नया प्रमाण-पत्र मिल जाएगा।					
		3.14	किसान द्वारा पंजीकरण / नवीनीकरण के लिए बहार-वार आवेदन किया जाए। अम्बे बहार: दिसंबर-जनवरी , मृग बहार- मई-जून , हस्ता बहार- अगस्त-सितंबर । यूरोपीय संघ के लिए फार्म पंजीकरण सितंबर-मार्च में					

			किया जाता है।
		3.15	<p>एक किसान / पट्टेदार किसान / पट्टा कृषक संगठन द्वारा संलग्नक-1 में दिए गए प्रारूप के अधार पर पंजीकरण प्राधिकरण में नवीकरण के लिए आवेदन किया जाए। अनार के खेतों / प्लॉटों के पंजीकरण के लिए उल्लेखित तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि, यदि कोई किसान / पट्टेदार / पट्टा संगठन एक अच्छी फसल की उम्मीद करता है और अपनी उपज को निर्यात करने का इच्छुक है, तो उसके द्वारा परिपक्वता चरण से ठीक पहले प्लॉट को पंजीकृत किया जाए। पंजीकरण संलग्नक-2 के साथ स्प्रे रिकॉर्ड के रखरखाव और उनकी एकरूपता के संबंध में कृषि / बागवानी अधिकारी की संतुष्टि के अधीन होगा। इस प्रकार की स्थिति में , ऐसे प्लॉट क्षेत्रों से अनार के (किसान की लागत / पट्टेदार किसान / पट्टे पर खेती संगठन की लागत पर) अवशिष्ट विशेषण के पश्चात पंजीकरण किया जाए।</p>
		3.16	<p>अनुच्छेद 3.2 में 3.13 तक निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के बाद पंजीकरण प्रमाण-पत्र को राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित रूप से हस्ताक्षर किया जाएगा। इस पंजीकरण प्रमाण-पत्र में प्लॉट, किसान/पट्टा/पट्टा संगठन, गांव, तालुक, मंडल, जिला, किस्म वार क्षेत्र , प्लॉट की आयु और अनार के उत्पादन के लिए किसान /पट्टा/पट्टा संगठन द्वारा अपनाए जाने वाले अभ्यासों के पैकेजों का विवरण उल्लेखित हो।</p> <p>क.) पंजीकरण / नवीकरण प्रमाणपत्र निम्नलिखित निर्देशों के साथ होगा जिसे भी कृषि/बागवानी अधिकारी द्वारा केवल अनुशंसित कृषि प्रथाओं का पालन करने के लिए अपनी आधिकारिक मुहर के अंतर्गत हस्ताक्षरित किया जाएगा।</p>

			<p>ख.) किसान/पट्टा/पट्टा संगठन द्वारा अनार पर केवल उन्हीं एगोकेमिकल्स का उपयोग किया जाए जिनकी अनुमति दी गई है और जो संलग्नक-5 में अधिसूचित हैं।</p> <p>ग.) किसान द्वारा अनार पर केवल उन्हीं एगोकेमिकल्स का उपयोग किया जाए जिनकी अनुमति दी गई है और जो संलग्नक-5 में अधिसूचित हैं।</p> <p>घ.) मिसब्रांडेड, गैर-अनुशंसित या प्रतिबंधित एगोकेमिकल्स या किसी अन्य हानिकारक रसायनों का उपयोग नहीं किया जाएगा।</p> <p>ङ.) अवशेषों के परीक्षण के लिए सैम्पल के ड्रावल के बाद, किसी भी एगोकेमिकल्स का छिड़काव / उपयोग न किया जाए।</p> <p>च.) किसी भी अपंजीकृत फार्म से अनार का निर्यात या सैम्पलिंग न की जाए।</p> <p>छ.) पंजीकरण रिकॉर्ड या पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण में कोई संशोधन हो तो करें।</p>
		3.17	<p>सभी किसान / पट्टेदार किसान / पट्टेदार किसान संगठन संबंधित राज्य बागवानी / कृषि विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली एक निर्धारित रजिस्टर में अपने द्वारा पालन किए गए अभ्यासों के पैकेज का रिकॉर्ड रखें। इसमें कीटनाशक, कवकनाशी, खरपतवारनाशक और पादप वृद्धि नियामक और अन्य रसायनों सांस्कृतिक प्रथाओं , उर्वरक के उपयोग , खुराक और उपयोग की तारीख की जानकारी शामिल हो सकती है।</p>
		3.18	<p>हार्वेस्ट के समय प्रत्येक किसान हार्वेस्ट के समय , अनुबंध -3 में निर्यातक को यह कहते हुए घोषणा करेगा कि कीटनाशक , कवकनाशक, फफूंदनाशक,</p>

			<p>खरपतवारनाशक आदि का छिड़काव प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए नमूनों के परीक्षण के बाद नहीं किया गया है। घोषणाओं में यह उल्लेखित हो कि किसी फार्म के अंतर्गत ऐसा कोई प्लॉट नहीं है जिसे कृषि/बागवानी कार्यालय द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है और घोषणा में उल्लेखित कोई भी प्लॉट निलंबन के अधीन नहीं है/ न ही उनमें से किसी प्लॉट को निर्यात के लिए रद्द किया गया है। यह घोषणा निर्यातक को उत्पाद की कटाई के समय सौंप दी जाएगी।</p>
		3.19	<p>निर्यातक एगमार्क निरीक्षण के समय प्रयोगशाला प्रतिनिधि को अनुबंध -4 प्रदान करेगा।</p>
4	जिला अधीक्षक कृषि / बागवानी अधिकारियों के लिए प्रक्रिया	4.1	<p>प्रत्येक कृषि / बागवानी अधिकारी द्वारा अनार की हार्वेस्टिंग से पूर्व फार्म / प्लॉट का निरीक्षण करने के लिए कम से कम दो बार फार्म / प्लॉट का दौरा किया जाएगा। पहला निरीक्षण फार्म / प्लॉट पंजीकरण के समय और दूसरा निरीक्षण सैम्पल लेने के समय किया जाए। यदि संभावित या भारी कीट / बीमारी की घटनाओं की स्थिति बनती है तो ऐसे क्षेत्रों में कृषि/ बागवानी अधिकारी द्वारा उपयुक्त समय पर अतिरिक्त निरीक्षण किया जाए। प्रत्येक कृषि / बागवानी अधिकारी अनुबंध - 4 (क) और 4 (ख) में दी गई निरीक्षण रिपोर्ट के प्रारूप के अनुसार रिपोर्ट तैयार करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करने के बाद किसान / पट्टेदार किसान / पट्टेदार किसान संगठन को एक प्रति देगा। सैंपलिंग के समय सभी संबंधितों द्वारा विधिवत रूप से पूर्ण और हस्ताक्षरित अनुबंध- 4 (ख) की एक प्रति प्रयोगशाला के प्रतिनिधि को दी जाए।</p>
		4.2	<p>अनारनेट में सूचना प्रवाह के हित में , संलग्नक-4 (ख) को अनारनेट के माध्यम से कृषि / बागवानी अधिकारी द्वारा भरा जाना आवश्यक है , अन्यथा किसान / पट्टेदार किसान / पट्टेदार किसान संगठन और</p>

			निर्यातकों को समस्याओं का सामना करना होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर आगे नहीं बढ़ पाएगा और प्रयोगशाला विश्लेषण नहीं हो पाएगा।
		4.3	फ़सल के पकने / परिपक्व होने से पहले (कृपया अनुच्छेद 3.13 देखें) प्लॉट के देर से पंजीकृत होने की स्थिति में पहले निरीक्षण के दौरान कृषि/बागवानी अधिकारी द्वारा ब्लॉक-इन एरिया दिशाओं और / या लोकेशन (जैसे सड़क , कुएं के पास) में प्लॉटों के ऐसे क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाएगा। इसे संलग्नक-4 (क) और संलग्नक-2 (और इसके अनुलग्नक) में सूचित किया जाए। {कृपया अनुच्छेद 3.5 और 3.6 देखें}
		4.4	कृषि/बागवानी अधिकारी द्वारा पूरे फार्म का पंजीकरण रिकॉर्ड भी सत्यापित किया जाए और यदि वह सही और पूरी हो तो उसकी भौतिक जांच की जाए।
		4.5	प्रत्येक आवेदन (संलग्नक4-क से 4ख) पर किसान/ पट्टेदार किसान / पट्टेदार किसान संगठन और कृषि/बागवानी अधिकारी अपना हस्ताक्षर करें और अपना पूरा आधिकारिक पता लिखें। यह अनिवार्य है।
		4.6	राज्य सरकारों द्वारा एपीडा वेबसाइट पर वेब-आधारित डेटा-बेस में निर्दिष्ट प्रारूप में प्लॉट पंजीकरण डेटा बनाया रखा जाए पंजीकरण प्रमाण-पत्र के प्रिंट को वेबसाइट पर रखे गए वेब-आधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से लिया जाएगा।
		4.7	यदि किसान/पट्टेदार किसान/पट्टेदार किसान संगठन फार्म 4(क) में दिए गए अधिकारी के परामर्श को नहीं मानते हैं या अन्यथा संतुष्ट हैं कि अतिरिक्त कीटनाशक अवशेषों की उपस्थिति की संभावना है तो कृषि/बागवानी अधिकारी द्वारा फार्म 4(ख) के कॉलम 15 में प्रयोगशालाओं द्वारा सैंपलों के ड्रावल्स को अनुशंसा

			नहीं दी जाएगी। सैम्पलों के ड्रावल की अनुशंसा न करने के कारणों को कॉलम 16 में स्पष्ट रूप से बताना होगा।
		4.8	सैम्पल के ड्रावल की अनुमति देने की अनुशंसा कृषि/बागवानी अधिकारी द्वारा केवल अनारनेट के माध्यम से की जाएगी। यह ध्यान दिया जाए कि सॉफ्टवेयर में यह अनुशंसा प्लॉट के पंजीकरण के 30 दिनों के बाद दी जाएगी।
		4.9	यदि किसान/पट्टेदार किसान/ पट्टेदार किसान संगठन/ संचालक फार्म - 4(ख) में कॉलम 15 और 16 में कृषि/बागवानी अधिकारी के निरीक्षण से संतुष्ट नहीं है तो वह चाहे तो राज्य सरकार के संबंधित विभाग में उच्च प्राधिकरण से अपील कर सकता है।
		4.10	प्रत्येक संबंधित कृषि/बागवानी अधिकारी द्वारा अवशिष्ट विश्लेषण के प्रमाण-पत्र की जांच की जाए और क्या करें एवं क्या ना करें के संदर्भ में नियंत्रण / सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया जाए।
		4.11	अनार के मौसम के अंत में कृषि / बागवानी अधिकारियों के पास राज्य सरकार को एन.आर.एल द्वारा प्रस्तुत समेकित परीक्षण रिपोर्ट और प्रयोगशालाओं द्वारा ई-मेल की प्रतियां भी की जांच करने की जिम्मेदारी होगी। वे किसानों को सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव भी देंगे (कृपया अनुच्छेद 9.7 देखें)।
		4.12	कृषि / बागवानी अधिकारियों द्वारा अनार के गुणवत्ता उत्पादन पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए नियमित रूप से किसानों / पट्टेदार किसान / पट्टेदार किसान संगठन और निर्यातकों के साथ बैठकें आयोजित की जाएं।
		4.13	कृषि / बागवानी अधिकारियों द्वारा संलग्नक-5 में दिए

			गए अनार के लिए केवल पंजीकृत / अनुशंसित एगोकेमिकल्स के उपयोग की अनुमति देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
		4.14	कृषि / बागवानी अधिकारियों द्वारा संबंधित सरकारी संस्थानों द्वारा परीक्षण किए गए उत्पादों के आधार पर बाजार में उपलब्ध कीटनाशक उत्पादों की सक्रिय सामग्री के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
		4.15	कृषि/बागवानी अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल उन्हीं एगोकेमिकल्स/कीटनाशक को किसानों / पट्टेदार किसान / पट्टेदार किसान संगठन और निर्यातकों द्वारा उपयोग करने की अनुमति दी जाए जिनके लेबल पर जेनरिक नाम , स्प्रे शेड्यूल , खुराक, कीट / बीमारी के नाम और प्रतीक्षा अवधि की पूरी जानकारी दी गई हो और जिनके साथ स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में एक पत्रक भी संलग्न हो।
		4.16	जब तक कि पुनः परीक्षण (कृपया अनुच्छेद 9.12 देखें) के आधार पर एन.आर.एल द्वारा चेतावनी नोटिस को निरस्त नहीं किया जाता तब तक के लिए अनार (कृपया अनुच्छेद 9.11 देखें) के खेत के संबंध में एन.आर.एल द्वारा जारी अलर्ट सूचना की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा उस खेत / प्लॉट से अनार के निर्यात को निलंबित कर दिया जाएगा।
5	अनार फार्मों / प्लॉटों से सम्पलिंग की प्रक्रिया	5.1	किसान / पट्टेदार किसान / पट्टेदार किसान संगठनों / निर्यातकों द्वारा सैम्पल लेने के लिए अग्रिम में प्रयोगशालाओं को एक अनुसूची प्रदान की जाए जिससे वे अपनी सैम्पलिंग व्यवस्था की योजना बना सकें।
		5.2	निर्यात के लिए नियत अनारों के सैम्पलों को इस प्रक्रिया के संलग्नक-6 में नामित प्रयोगशालों और सूचीबद्ध एन.आर.एल द्वारा परीक्षण करने के लिए

			निकाला जाएगा।
		5.3	इस उद्देश्य के लिए प्रयोगशाला परीक्षण के लिए सैम्पलों को अधिकृत प्रयोगशाला के प्रतिनिधि द्वारा निकाला जाएगा। सैम्पलिंग के समय किसान द्वारा प्रतिनिधि को संलग्नक 2 की एक प्रतिलिपि उपलब्ध की जाएगी। यदि सैम्पलिंग और हार्वेस्टिंग में 30 दिनों से अधिक का अंतर है तो प्लॉट से नए सैम्पलों को लिया जाएगा।
		5.4	सैम्पलों को निकालने के बाद , प्रयोगशाला अधिकारी द्वारा सैम्पलों के निकाले जाने की मात्रा को रिकॉर्ड किया जाएगा और पंजीकरण प्रमाण-पत्र के पीछे अपना हस्ताक्षर और तिथि लिखनी होगी।
		5.5	प्रयोगशालाओं को यह परामर्श दिया जाता है कि वे सैम्पलों को निकालने के तुरंत बाद एपीडा वेबसाइट पर वेब-आधारित सॉफ्टवेयर में पंजीकृत प्लॉटों से लिए गए सैम्पलों का विवरण दर्ज करें। प्लॉट पंजीकरण संख्या/संख्याएं सभी उद्देश्यों के लिए प्रमुख संख्याएं होंगी।
		5.6	अनार, मिट्टी और जल के सैम्पलों को संलग्नक -7 में दी गई प्रक्रिया के आधार पर किसान/पट्टेदार किसान/पट्टेदार किसान संगठन के प्रतिनिधि और निर्यातक की उपस्थिति में निकाला जाएगा।
		5.7	प्रत्येक सैम्पल को संबंधित प्लॉट / प्लॉटों/ फार्म से लिया जाएगा जिसे दो नालीदार डिब्बों में अलग-अलग पैक किया जाएगा [पहला सैम्पल प्रयोगशाला सैम्पल होगा और दूसरा प्रतिकूल सैम्पल होगा (जिसे विवाद के मामले में एन.आर.एल द्वारा परीक्षण के लिए बनाए रखा जाएगा)]। संलग्नक - 8 में दिए गए प्रारूप के आधार पर कार्टून (डिब्बे) को मोहरबंद और हस्ताक्षरित

			<p>कर उन्हें सैम्पल स्लिप के साथ 24 घंटे के अंदर अवशिष्ट परीक्षण प्रयोगशाला में सौंप/ हस्तांतरित कर दिया जाए। सैम्पल स्लिप पर किसान/पट्टेदार किसान/पट्टेदार किसान संगठन के किसान/प्रतिनिधि , निर्यातक और प्रयोगशाला के उस प्रतिनिधि का हस्ताक्षर किया जाए जिसने सैम्पल लिए हैं। इस संलग्नक में प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने के समय प्रतिनिधि द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संलग्नक-2 की एक प्रति प्राप्त की गई है। प्रयोगशाला द्वारा सॉफ्टवेयर में प्रविष्टियों को तब तक आगे नहीं प्रवृत्त किया जा सकता है जब तक या दस्तावेज़ निर्धारित रूप से प्राप्त , सत्यापित या सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट न किए गए हों।</p>
		5.8	<p>यह सुझाव दिया जाता है कि प्रयोगशाला प्लॉट पर रसायनों के उपयोग की बेहतर समझ के लिए संलग्नक -4, के अंतर्गत दोनों आवेदनों अर्थात् संलग्नक - 4 (क) और 4 (ख) की जाँच की जाए। प्रयोगशाला प्रतिनिधि द्वारा संलग्नक- 4 (क) और 4 (ख) के आधार पर दी गई सैम्पल स्लिप पर किसान और उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का भी सत्यापन किया जाएगा।</p>
		5.9	<p>प्रयोगशालाओं द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में सैम्पल न लिए जाएं:</p> <p>क.) यदि प्लॉट वास्तव में जिला कृषि / बागवानी कार्यालय के साथ पंजीकृत नहीं हैं या प्लॉट निलंबन के अधीन हैं / प्लॉट यूरोपीय संघ से निर्यात के लिए रद्द कर दिया गया है।</p> <p>ख.) यदि प्लॉटों की पंजीकरण संख्या उपर्युक्त अनुच्छेद 3.7 में दिए गए कोडिंग प्रारूप में नहीं है।</p> <p>ग.) यदि किसान / निर्यातक निकटवर्ती प्लॉटों (कृपया ऊपर अनुच्छेद 3.5 और 3.6 देखें) के लेआउट के</p>

			<p>स्केच / ड्राइंग के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रदान करने में विफल रहता है।</p> <p>घ.) प्लॉट / प्लॉटों / खेत के क्षेत्रफल की गणना और संलग्नक -2 (क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए) और 4 (ख) में बताए गए संभावित उत्पादन की गणना में किसी भी असंगति (10% भिन्नता) की स्थिति में,</p> <p>ड.) जब तक इस संबंध में संलग्नक -4 (बी) के खण्ड 15 में कृषि / बागवानी अधिकारियों द्वारा स्पष्ट अनुशंसा नहीं दी जाती है।</p> <p>च.) यदि संलग्नक-3 और 4(क) एवं 4(ख) पर दिए गए हस्ताक्षर से सैम्पल स्लिप पर किसान या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया गया हस्ताक्षर मेल नहीं खाता हो।</p> <p>छ.) जब तक प्रयोगशाला प्रतिनिधि यह सत्यापित न करे कि सैम्पल को वैध पंजीकृत प्लॉट/प्लॉटों/फार्म से लिया गया है।</p> <p>ज.) जब तक प्रासंगिक गणना संलग्नक -7 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार न की गई हो और</p> <p>झ.) जब तक सैम्पल के साथ संलग्न सैम्पल स्लिप को विधिवत रूप से न भरा गया हो।</p>												
	5.10		<p>फार्म से प्रयोगशालाओं में सैम्पलों की आवाजाही के लिए, निम्नलिखित प्रारूप में निगरानी की श्रृंखला दिखाने वाला एक रिकॉर्ड रखा जाएगा , और यह रिकॉर्ड भी सैम्पल और दस्तावेजों के साथ आगे बढ़ेगा</p> <table border="1" data-bbox="735 1854 1469 2018"> <thead> <tr> <th>व्यक्ति</th> <th>नाम</th> <th>तिथि</th> <th>हस्ताक्षर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सैम्पलर</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>कोरियर-1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	व्यक्ति	नाम	तिथि	हस्ताक्षर	सैम्पलर				कोरियर-1			
व्यक्ति	नाम	तिथि	हस्ताक्षर												
सैम्पलर															
कोरियर-1															

			कोरियर-2			
			प्रयोगशाला			
		5.11	सैम्पल को निकालने वाले प्रयोगशाला प्रतिनिधि द्वारा सैम्पल स्लिप संख्या के साथ सैम्पल को चिह्नित किया जाएगा जिससे सैम्पल के साथ सैम्पल स्लिप को सहसंबंधित जा सके।			
		5.12	प्रयोगशाला में पहुंचने पर प्रत्येक सैम्पल को प्रयोगशाला के बाद की प्रक्रिया के अनुसार संबंधित कोड संख्या का संकेत देकर क्रमांकित किया जाएगा।			
		5.13	सभी निर्यातकों/ अधिकृत पैकहाउस और प्रयोगशालाओं द्वारा संलग्नक-7 में दिए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर परीक्षण रिपोर्ट की तिथि में निर्यातित अनार के प्रतिनिधि सैम्पल (अनुच्छेद 8.4 देखें) बनाए रखे जाएंगे।			
		5.14	सैम्पल निकालने वाले प्रयोगशाला प्रतिनिधि द्वारा सैम्पल स्लिप पर सैम्पल स्लिप संख्या चिह्नित की जाएगी जिससे निकाले गए सैम्पल और सैम्पल स्लिप में सहसंबंध किया जा सके।			
6	प्रत्यायन/ मान्यता प्राप्त आवश्यकताओं और अधिकृत प्रयोगशालाओं के उत्तरदायित्व	6.1	अधिकृत प्रयोगशालाओं को परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए आई.एस.ओ / आई.ई.सी-17025 के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी .एल) से मान्यता प्राप्त होगी।			
		6.2	अधिकृत प्रयोगशालाओं के पास प्रयोगशाला मान्यता के लिए अपनी योजनाओं के अंतर्गत वैध एपीडा मान्यता होना आवश्यक है।			
		6.3	अधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा अनुबंध -7 में दी गई सैम्पल विधि के अनुसार सैम्पलिंग की जागी और संबंधित किसान / निर्यातक के अनुरोध पर , रसायनों के			

			अवशिष्ट स्तरों के लिए अनार का परीक्षण किया जाएगा, जिसकी अनुशंसित सूची संलग्नक-9 में दी गई है। संलग्नक-9 में भारत या यूरोपीय संघ में प्रतिबंधित रासायनों की सूची भी दी गई है।
		6.4	प्रतिबंधित रसायनों के लिए पिछले सीज़न के निष्कर्षों के आधार पर, एन.आर.एल द्वारा निर्धारित कृषि क्षेत्रों से मिट्टी और पानी का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण रिपोर्ट में पता लगाने की सीमा और परिणामों को दर्शाया जाए। प्रयोगशालाओं द्वारा रिपोर्ट की प्रति राज्य सरकार / किसान / निर्यातक / पंजीकरण प्राधिकरण और एन.आर.एल को प्रदान की जाएगी।
		6.5	यह सुनिश्चित करने के बाद कि अनुच्छेद 5.7 से 5.9 का अनुपालन किया गया है, मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा संलग्नक-7 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार अनार, मिट्टी और जल के सैम्पल लेने के लिए अपने प्रतिनिधि को नामांकित किया जाएगा।
		6.6	अवशिष्ट विश्लेषण प्रमाण-पत्र को प्रयोगशाला के प्रतिनिधि के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ केवल अनारनेट के माध्यम से संलग्नक-10 में दिए गए प्रारूप के अनुसार जारी किया जाएगा। अवशिष्ट विश्लेषण प्रमाण-पत्र सैम्पल के ड्रावल के छः दिनों के भीतर जारी किया जाए। इसमें सैंपलिंग का दिन भी शामिल है। अधिकृत प्रयोगशाला द्वारा पता लगाए गए कृषि रसायनों के अवशिष्ट विश्लेषण प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा हालांकि निगरानी के अंतर्गत सभी एगोकेमिकल्स को अनारनेट में अपलोड करें।
		6.7	प्रयोगशाला द्वारा केवल अनुबंध- 2 (क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए) और अनुबंध -4 (ख) के आधार पर संलग्नक -10 में घोषित फॉर्म / प्लॉटों [क्र.सं. 5] और फॉर्म / प्लॉटों [क्र.सं. 6] के कुल संभावित उत्पादन के क्षेत्र की गणना की जाएगी। दस्तावेज़ों में 10% भिन्नता से अधिक

			असंगतता देखे जाने की स्थिति में तुरंत एन.आर.एल/राज्य सरकार [कृपया अनुच्छेद 5.9 (घ) और 8.13 देखें] को रिपोर्ट करें।
		6.8	निर्यातक / किसान / पट्टेदार किसान / पट्टेदार किसान संगठन द्वारा घोषित कंसांटमेंट के गंतव्य के संबंध में परीक्षण के परिणाम एम.आर.एल से अधिक हैं तो तुरंत (24 घंटे के भीतर) ही एन.आर.एल , बागवानी अधिकारी (जिसका पता संलग्नक - 2 में दिया गया है) और एपीडा को प्लॉटों और एग्रोकैमिकल्स के स्तर से अधिक का विवरण देने वाली रिपोर्ट की एक प्रति के साथ मामले के बारे में सूचित किया जाए। विफल सैम्पलों की स्थिति में प्रयोगशाला द्वारा स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा एन.आर.एल को क्रोमैटोग्राम आदि भी भेजा जाए।
		6.9	यदि अनार सैम्पल विफल हो जाते हैं और एन.आर.एल द्वारा एक आंतरिक अलर्ट जारी किया जाता है तो किसान/ पट्टेदार किसान/ पट्टेदार किसान संगठन/ निर्यातक बाद की तारीख (संलग्नक-8 देखें) में पुनः सैम्पलिंग को चुन सकता है। इस प्रकार की स्थिति में , यदि दूसरा सैम्पल परीक्षण में सफल हो जाता है तो आंतरिक अलर्ट सूचना को रद्द करने हेतु उन्हें सक्षम करने के लिए एन.आर.एल अंतरंग करें , जो उस तिथि (अनुच्छेद 9.12 देखें) से प्रभावी होगा।
		6.10	अधिकृत प्रयोगशालाओं के निरीक्षण को एन.आर.एल / पी.एस.सी जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा प्रयोगशाला (अनुच्छेद 9.4 देखें) को पूर्व सूचना के बिना किया जा सकता है।
		6.11	अधिकृत प्रयोगशालाएँ , एन.आर.एल द्वारा आयोजित प्रशिक्षण / इंटरलेबोरेटरी प्रवीणता परीक्षण में भाग लेंगी। प्रयोगशालाएं अपनी क्षमता और तत्परता के बारे में अनार की सैम्पलिंग और विश्लेषण शुरू करने से पहले

			एपीडा और एन.आर.एल को लिखित रूप में सूचित करेंगी।
		6.12	अधिकृत प्रयोगशालाएं निर्यात के लिए अनार की सैम्पलिंग, विश्लेषण और ग्रेडिंग के संबंध में कोई अतिरिक्त वर्णन / अस्वीकृति नहीं जोड़ेंगी।
		6.13	यदि अधिकृत प्रयोगशाला अवलोकन करती या विश्लेषण की प्रणाली के समय यह देखती है कि संलग्नक -9 में सूचीबद्ध रसायन की उपस्थिति की संभावना नहीं है तो यह यदि संभव हो तो परीक्षण रिपोर्ट की प्रति के साथ तुरंत (24 घंटे के भीतर) एन.आर.एल / राज्य सरकार / निरीक्षण प्राधिकरण और बागवानी / कृषि अधिकारी के संज्ञान में लाया जाएगा।
7	एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र (सी.ए.जी) और साइटों सैनिटरी प्रमाण-पत्र (पी.एस.सी) जारी करने की प्रक्रिया	7.1	अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र और एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र (सी.ए.जी) के अनुदान हेतु पूरी प्रक्रिया संलग्नक-11 में दी गई है। सी.ए.जी केवल अनारनेट के माजध्यम से प्रयोगशालाओं से निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात जारी किया जाएगा। निर्यातकों के द्वारा परिशिष्ट -(i) से संलग्नक-11 में दिए गए रसायनों , उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए।
		7.2	किसान/ निर्यातक राज्य पी.एस.सी प्राधिकरण से संगरोध विनियम (आई.पी.पी.सी 1951) के अंतर्गत अधिसूचित भारत सरकार से पादप संरक्षण परामर्शदाता द्वारा निर्धारित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्नक-12 निर्धारित आवेदन के साथ फाइटो सैनिटरी प्रमाण-पत्र जारी करने या भारत सरकार की नामित प्रयोगशालाओं से यदि फ्यूमिगेशन प्रमाण-पत्र है तो उसकी स्कैन की गई प्रतिलिपि और कंटेनर लोडिंग शीट/पैकिंग सूची/ परफार्मा इनवाइस/ एल.सी की एक प्रति के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से संलग्नक-12 में दी गई निर्यातक/ शिपर की घोषणा के साथ फाइटो सैनिटरी प्रमाण-पत्र को जारी करने का अनुरोध करें। प्रयोगशाला

			<p>द्वारा निरीक्षण के समय निम्नलिखित दस्तावेजों को सत्यापित किया जाएगा:</p> <p>क.) एपीडा द्वारा जारी पैकहाउस मान्यता प्रमाण-पत्र।</p> <p>ख.) डी.एम.आई द्वारा जारी अनुमोदन प्रमाण-पत्र।</p> <p>ग.) एन.एस.पी.एम-12 के आधार पर भारत सरकार से मान्यता प्राप्त एम.बी.आर फ्यूमिगेटर के द्वारा जारी लकड़ी की पैकिंग सामग्री के लिए फ्यूमिगेशन प्रमाण-पत्र।</p> <p>घ.) डी.एम.आई द्वारा जारी एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र।</p> <p>ड.) गुणवत्ता, संगरोध मुद्दों और कीट और रोगों के बारे में अतिरिक्त घोषणा के लिए संलग्नक / एल.सी की प्रतिलिपि आयात करने वाले देश के संगरोध नियमों को पूरा करने के लिए फाइटो-सैनिटरी प्रमाण-पत्र में दी जाए।</p>
		7.3	संलग्नक-12 की सामग्री की सत्यता साबित करने दायित्व निर्यातक / शिपर के पास है।
		7.4	पादप संरक्षण परामर्शदाता द्वारा भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण संविद (आई.पी.पी.सी) और निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने और निम्नलिखित शर्तों के बारे में स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही पी.एस.सी प्राधिकरण द्वारा पी.एस.सी जारी किया जाएगा : (1) सैंपल स्लिप पर किसान / पट्टेदार किसान / पट्टेदार किसान संगठन के हस्ताक्षर जो संलग्नक 3, 4 (क) और 4 (ख) पर दिए गए हैं।
		7.5	पैकहाउस पर यादृच्छिक आधार पर पी .एस.सी जारी करने वाले अधिकारी कंसाइन्टमेंट में से एक प्रतिनिधि सैंपल लेंगी जिसे ठीक से सील / चिह्नित किया जाए

			और भंडारण के लिए एक्सपोर्टरहाउस को सौंप दिया जाए(कृपया अनुच्छेद 5.12 देखें)।
		7.6	पी.एस.सी अधिकारी द्वारा प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट संख्या के साथ लिए गए प्रतिनिधि सैम्पल को चिह्नित किया जाए।
		7.7	शीट (पैकिंग सूची) को लोड करने वाले कंटेनर में किसान का नाम , किसान का कोड , पैकेट प्रति मात्रा , कुल मात्रा आदि दिए गए हों।
		7.8	निर्यातकों / मान्यता प्राप्त पैकहाउसों और प्रयोगशालाओं द्वारा संलग्नक-7 में दिए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर कोल्ड स्टोरेज में निर्यातित अनारों के प्रतिनिधि सैम्पलों के परीक्षण रिपोर्ट की तिथि से 60 दिनों की अवधि के लिए शीत भंडारण तापमान 5-10 डिग्री और 90-95% की सापेक्ष आर्द्रता की सीमा बनाए रखी जाए।
		7.9	एगमार्क और फाइटो सैनिटरी प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा आयातक देशों की ग्रेडिंग और संगरोध आवश्यकताओं के संबंध में किसानों , निर्यातकों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
8.1	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र (एन.आर.सी.जी) पर राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला (एन.आर.एल) के उत्तरदायित्व	8.1	एन.आर.एल द्वारा प्रत्येक वर्ष खेती के मौसम की शुरुआत से पहले संलग्नक- 5 में दिए गए अनार की खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों की अनुशंसित सूची तैयार की जाएगी।
		8.2	एन.आर.एल द्वारा एपीडा और राज्य सरकारों को विभिन्न रोगों और कीटों के नियंत्रण के लिए अनुशंसित रसायनों की अद्यतन सूची और रसायनों एवं किसी भी अन्य दूषित पदार्थों की एक गतिशील सूची के लिए प्रस्तुत की जाएगी जिसे जून के अंत तक उसके एम.आर.एल के साथ अनार के लिए विश्लेषण किया

			जाएगा और उसे निर्यातकों और किसानों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा।
		8.3	एन.आर.एल द्वारा सैम्पलिंग और विश्लेषण के लिए एपीडा द्वारा मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं हेतु सैम्पलिंग और विश्लेषण की प्रक्रिया को निर्दिष्ट और सत्यापित किया जाएगा। एन.आर.एल द्वारा निर्यात के लिए अनार की सैम्पलिंग , विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं के प्राधिकरण के लिए एपीडा को अनुशंसा की जाएगी।
		8.4	एन.आर.एल द्वारा अनार के निर्यात के लिए प्रतिबंधित रसायनों की सूची सहित रसायनों के एम.आर.एल की यूरोपीय संघ की सूची के साथ-साथ अनार की खेती के लिए निर्देश के आधार पर अनार निर्यात सीजन के शुरु होने से पहले परीक्षण के उद्देश्य के लिए रसायनों की सूची और उनके एम.आर.एल को निर्धारित किया जाएगा। उनके एम.आर.एल के लिए परीक्षण किए जाने वाले रसायनों की इस सूची को नियमित रूप से संशोधित किया जाएगा।
		8.5	यह जानने के लिए कि क्या मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं मानदण्डों का पालन कर रही हैं , एन.आर.एल द्वारा निगरानी लेखा-परीक्षण के माध्यम से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के कार्य को मॉनिटर किया जाएगा।
		8.6	एन.आर.एल द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अधिकृत प्रयोगशालाओं के अवशेष विश्लेषण आंकड़े संकलित किए जाएंगे। आंकड़ों के आधार पर एन.आर.एल द्वारा अगले वर्ष के लिए कार्य योजना भी तैयार की जाएगी।
		8.7	एन.आर.एल द्वारा अनुरूपता के उपाय के रूप में नामित प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण किए गए बैच से संबंधित मान्यता प्राप्त पैकहाउस से सीधे 5% सैम्पल निकाल लिए जाएंगे। एन.आर.एल द्वारा इन सैम्पलों का विश्लेषण किया जाएगा और समेकित रिपोर्ट में रिपोर्ट

			को एकीकृत किया जाएगा।
		8.8	एन.आर.एल द्वारा अनुरूपता के उपाय के रूप में नामित प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण किए गए बैच से संबंधित मान्यता प्राप्त प्रयोगशालों द्वारा विश्लेषण किए गए सैम्पलों के 5% परीक्षण आंकड़ों का मूल्यांकन किया जाएगा।
		8.9	जहां निर्यातक / किसान द्वारा घोषित किए गए कंसाइन्टमेंट के गंतव्य के आधार पर अवशिष्ट स्तर अनुमत स्तरों से अधिक पाया जाता है वहां एन.आर.एल द्वारा निर्यातकों / किसानों को नियंत्रण उपायों के बारे में परामर्श दिया जाएगा।
		8.10	एन.आर.एल द्वारा उन खेतों से विश्लेषण किए गए नमूनों के अधिकृत प्रयोगशालाओं से एन.आर.एल द्वारा प्राप्त की जाने वाली मिट्टी और पानी परीक्षण रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जाएगा जहां पिछले सीजन में प्रतिबंधित रसायन का पता लगाया गया था और साथ ही परीक्षण रिपोर्ट में शामिल जानकारी के आधार पर वर्तमान मौसम में तेजी से और उपयुक्त रूप से संबंधित किसान/निर्यातक और पंजीकरण प्राधिकरण (कृषि/बागवानी अधिकारी) को परामर्श दिया जाएगा।
		8.11	एन.आर.एल द्वारा अनार के पौध संरक्षण और खेती के लिए एन.आर.एल द्वारा अनुशंसा किए रसायनों के स्तरों से अधिक होने के संबंध में किसानों, उत्पादकों, निर्यातकों, एपीडा, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के तुरंत ही सूचित किया जाए।
		8.12	एन.आर.एल द्वारा अधिकृत प्रयोगशालाओं के लिए प्रत्येक अवशिष्ट या अवशेषों के समूहों के परीक्षण पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा।

		8.13	एन.आर.एल द्वारा अनार के मौसम के दौरान दो बार अंतर-प्रयोगशाला / प्रवीणता परीक्षण का आयोजन और प्रयोगशालाओं का मार्गदर्शन किया जाएगा।
		8.14	एन.आर.एल द्वारा नियमित रूप से हितधारकों की इंटरैक्टिव बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में भागीदारी के लिए किसानों, निर्यातकों, सी.आई.बी और आर.सी, कृषि / बागवानी अधिकारियों, पी.एस.सी जारी करने वाले अधिकारियों, एगमार्क अधिकारियों, आई.सी.ए.आर, किसी भी अन्य सेवा प्रदाताओं जैसे कृषि रासायनिक उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं एवं एपीडा को शामिल किया जाएगा।
		8.15	एन.आर.एल द्वारा रसायनों की सूची को उनके एम.आर.एल के साथ एवं सैम्पलिंग और विश्लेषण की प्रक्रिया के संबंध में स्वयं, एपीडा, राज्य सरकारों, किसानों और उत्पादकों, निर्यातकों और मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं को अद्यतन किया जाएगा।
		8.16	एक असफल सैम्पल के बारे में एक अधिकृत प्रयोगशाला से अलर्ट सूचना मिलने पर बिना किसी विलंब और किसी भी मामले में 24 घंटे के भीतर जब तक एन.आर.एल किसी भी जांच को करना आवश्यक नहीं मानता, समय-समय पर संशोधित इस दस्तावेज में निर्धारित सीमा से अधिक अवशिष्टों या प्रमुख तत्वों का पता लगाने के मामले में किसान को सूचना के अंतर्गत राज्य सरकार, निर्यातकों, पी.एस.सी जारी करने वाले प्राधिकरणों, प्रयोगशालाओं और एपीडा को एक आंतरिक अलर्ट सूचना जारी की जाए। आंतरिक अलर्ट सूचना का एक प्रारूप संलग्नक-13 में दिया गया है।
		8.17	यदि अनार प्लॉट/प्लॉटों/फार्म के एक जैसे अभ्यास पैकेज हैं और जहां किसान / पट्टेदार किसान / पट्टेदार कृषक संगठन एक ही पैकेज के पालन का उत्तरदायित्व लेता है वहां निर्यात के लिए निर्धारित कंसाइन्टमेंट से

			केवल एक यादृच्छिक सैम्पल निकाला जाए जिसे अच्छी तरह से सील/चिन्हित किया जाए और उसे स्टोरेज के लिए निर्यातक/पैकहाउस को सौंपा जाए। यदि अनार प्लॉट/ प्लॉटों/फार्म सैम्पल के पुनःपरीक्षण में एम.आर.एल (अनुच्छेद 6.9 देखें) परीक्षण में सफल हो जाते हैं तो बिना किसी विलम्ब के एन.आर. एल द्वारा आंतरिक अलर्ट सूचना वापिस ली जाए जो उस तिथि से प्रभावी होगी। इस संबंध में , एन.आर.एल द्वारा सभी संबंधित को प्लॉट की नई स्थिति के बारे में सूचना दी जाएगी।
		8.18	उपर्युक्त अनुच्छेद 6.7 के संबंध में किसी प्रयोगशाला से प्राप्त विसंगति की किसी भी रिपोर्ट की स्थिति में एन.आर.एल द्वारा तत्काल ही राज्य सरकार (कृषि/बागवानी कार्यालयों) के साथ परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से सुधार के लिए कार्यवाई की जाए।
9	राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला की शक्तियां	9.1	एन.आर.एल के पास पंजीकृत अनार फार्मों , पैकहाउस और प्रयोगशालाओं से सैम्पल निकालने का अधिकार हो।
		9.2	एन.आर.एल के पास निर्दिष्ट प्रयोगशालाओं द्वारा लिए गए और / या परीक्षण किए गए सैम्पलों के अनुरूप विश्लेषण आंकड़ों को सत्यापित करने का अधिकार हो।
		9.3	एन.आर.एल के पास अधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा अनार के सैम्पल और विश्लेषण की विधि का अनुपालन न करने की स्थिति में एपीडा और / या एन.ए.बी.एल को उन प्रयोगशालाओं की मान्यता रद्द करने अनुशंसा करने का अधिकार है।
		9.4	एन.आर.एल के पास बिना पूर्व सूचना के अधिकृत प्रयोगशालाओं का निरीक्षण करने का अधिकार है(अनुच्छेद 6.10 देखें)।

10	किसानों, उत्पादकों और निर्यातकों के उत्तरदायित्व	10.1	अनार के किसान / उत्पादक / निर्यातक और अन्य हितधारकों द्वारा आयातक देशों के विनियमों के आधार पर रसायनों के एम.आर.एल का अनुपालन किया जाए। अनार पर विनियमों के साथ अनुपालन जैसे कि अनार के ग्रेड, गुणवत्ता, सुरक्षा और पूर्णता, कटाई के पूर्व और बाद के अभ्यास, पौधे और इसकी संगरोध, पैकिंग, फ्यूमिगेशन, लकड़ी के फूस के लिए प्रमाणन, स्वच्छता और फाइटोसेनिटरी उपाय, कोई भी अन्य आवश्यकताओं का उत्तरदायित्व अनार के निर्यात हेतु किसान, उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों का होगा।
		10.2	किसानों / उत्पादकों / निर्यातकों को केवल उन रसायनों को उपयोग करने की बाध्यता है जो एन.आर.सी अनार (संलग्नक-5) द्वारा अनुशंसित हैं। अनार के उत्पादन के लिए बनावटी एवं दूषित रसायनों और अन्य किसी कृषि इनपुट के उपयोग का प्रभाव किसानों / उत्पादकों / निर्यातकों के एकमात्र जोखिम और लागत पर होगा।
		10.3	किसानों/ उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा पी.एस.सी जारी करने वाले प्राधिकरण/कृषि/बागवानी अधिकारी को अच्छे कृषि अभ्यासों (जी.ए.पी) गुणवत्ता/खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के अनुपालन और/यासंबंधित एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले प्रमाणीकरण और निरीक्षण सहित इन प्रणालियों के आधार पर अनार के उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए प्रमाणीकरण और निरीक्षण प्रणालियों के किसी अन्य अनुपालन की सूचना दी जाएगी।
		10.4	अनार के किसानों/ उत्पादकों/ निर्यातकों और अन्य हितधारकों द्वारा एन.आर.सी अनार को अनार के निर्यात के लिए परीक्षण किए जाने वाले रसायनों की सूची उपलब्ध की जाए। किसानों, उत्पादकों, निर्यातकों और हितधारकों द्वारा उपलब्ध की गई प्रतिपुष्टि के आधार पर एन.आर.एल द्वारा एपीडा के साथ परामर्श में

			अन्य रसायनों के परीक्षण के लिए अनुशंसा की जाएगी।
		10.5	पिछले सीजन में प्रतिबंधित/ निषिद्ध रसायनों वाले पंजीकृत फार्मों से मिट्टी और पानी के सैम्पलों को अधिकृत प्रयोगशालाओं और एन.आर.एल द्वारा निकाला और परीक्षण किया जाए।
		10.6	जब परीक्षण किए जाने वाले रसायनों की अनुशंसित सूची संलग्नक-9 में दी गई हो तो किसान/निर्यातक का उत्तरदायित्व यह जांच करना होगा कि क्या प्राधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा वह फार्म जहां से निर्यातक संलग्नक -2 में किसान द्वारा रखे गए स्प्रे रिकॉर्ड के आधार पर उत्पादन का स्रोत बना रहा है और निरीक्षण प्राधिकरण (कृषि/बागवानी अधिकारी) द्वारा हस्ताक्षरित है उसके संबंध में किसी भी अतिरिक्त रसायन का परीक्षण किया जाना आवश्यक है।
		10.7	किसानों/ उत्पादकों/ निर्यातकों और अन्य हितधारकों का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने व्यापार आसूचना जानकारी के माध्यम से अनार के निर्यात के लिए परीक्षण और मॉनिटर किए जाने वाले रसायनों और अन्य संदूषकों सूची को अद्यतन और सूचित करें।
		10.8	किसानों, उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों द्वारा आयात देश के नियमों के किसी भी गैर-अनुपालन की स्थिति में किसानों, उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों के साथ नुकसान की देयता बनी रहेगी।
		10.9	किसानों / उत्पादकों / निर्यातकों और अन्य हितधारकों को बाजार में आगमन पर अनार का सही माप सुनिश्चित करना होगा जब तक कि खुदरा बाजार के अलमारियों से उपभोक्ताओं द्वारा अनार नहीं उठाया जाता है।

11	समग्र निगरानी और एपीडा के उत्तरदायित्व	11.1	एपीडा द्वारा एपीडा अधिनियम में परिकल्पित अनार के निर्यात प्रोत्साहन की सुविधा दी जाएगी।
		11.2	एपीडा द्वारा भारत सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त पैकहाउसों के साथ-साथ सूचित की गई प्राधिकृत प्रयोगशालाओं/ पी.एस.सी जारी करने वाले प्राधिकरणों का नाम, पता आयातक देशों की सरकारों एवं यूरोपीय देशों को सूचित किया जाएगा। साथ ही एपीडा द्वारा कृषि मंत्रालय से प्राप्त किए गए आयातक देशों के संगरोध संबंधी मुद्दों को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए।
		11.3	एपीडा द्वारा एन.आर.एल के माध्यम से रसायन अवशिष्ट विश्लेषण हेतु इसकी परीक्षण क्षमता के आधार पर इन दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक अधिकृत प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली की मॉनिटरिंग की जाएगी।
		11.4	एपीडा अधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक परीक्षण परिणामों का मूल्यांकन करेगा और इसके लिए आवश्यक होगा कि एन.आर.एल द्वारा सुझाए गए नियंत्रण उपायों को राज्य सरकार या प्रयोगशाला द्वारा लागू किया जाए।
		11.5	जहाँ आवश्यक हो , वहां एपीडा द्वारा राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला के नेतृत्व में निर्यातकों / संघ , नामित प्रयोगशालाओं और एपीडा के प्रतिनिधियों की एक समिति को नामित किया जाएगा। परीक्षण के रूप में , समिति, निर्यातकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का मूल्यांकन करेगी। छोटे और बड़े दोनों पैकहाउसों को कवर करने वाले 5% का सैम्पल आकार इस उद्देश्य के लिए लिया जाएगा। यादृच्छिक आधार पर ली गई अनार की 5% मात्रा के पूरे रिकॉर्ड को निर्यातक द्वारा निर्यात

			सीजन के अंत में जाँच किया जाएगा।
		11.6	एपीडा द्वारा एन.आर.एल द्वारा किए गए कार्यों का आकलन किया जाएगा , जिसमें इस दस्तावेज में दिए गए उत्तरदायित्वों के संबंध में संशोधन किया गया है। एपीडा द्वारा अनार के निर्यात के लिए ट्रेसबिलिटी की प्रभावी निगरानी के लिए सीजन की शुरुआत से पहले संबंधित राज्य सरकारों को आर.एम.पी दस्तावेज़ प्रदान किया जाएगा।
12	दंड प्रावधान	12.1	<p>अनार में कृषि रासायनिक अवशिष्टों को नियंत्रित करने के लिए इन प्रक्रियाओं के उल्लंघन की स्थिति में , एपीडा द्वारा निम्नलिखित के अतिरिक्त एपीडा अधिनियम, 1985 के अध्याय- ड की धारा 19 (3) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जा सकती है:</p> <p>क.) निर्यातकों के लिए पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र को रद्द करना।</p> <p>ख.) पैकहाउस की मान्यता रद्द करना।</p> <p>ग.) इस प्रकार के निर्यातकों को आवंटित आयात-निर्यात कोड संख्या रद्द करने के लिए डी.जी.एफ.टी को सूचित करना।</p> <p>घ.) निर्णय ली गई कोई अन्य कार्यवाई।</p>

स्थान: नई दिल्ली

19/09/2017 को हस्ताक्षरित

तिथि: 12/09/2017

डी.के.सिंह

अध्यक्ष-एपीडा

निर्यात के लिए अनार प्लॉटों के पंजीकरण/नवीकरण हेतु आवेदन
(किसान पट्टेदार किसान/पट्टेदार किसान संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में,

पंजीकरण प्राधिकरण और जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी

तालुक-----जिला-----राज्य-----

विषय: निर्यात हेतु अनार फार्म का पंजीकरण/नवीकरण

महोदय,

कृपया निवेदन है कि आप निर्यात हेतु मेरे अनार फार्म को पंजीकृत/ नवीकृत करें। अन्य आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं:

1	अनार उत्पादकों का पूरा नाम	
	पिता/ पति का नाम	
	सहयोगियों का नाम	
क	पत्राचार का पता	
	पोस्ट	
	तालुक	
	जिला	
	राज्य	
	एस.टी.डी कोड नं. के साथ टेलिफोन नं.	
	मोबाइल नं.	
	ई-मेल पता	
ख	उत्पादित फसल के सभी क्षेत्र के संकेतों के साथ प्लॉट के मानचित्र/लेआउट और फार्म/प्लॉट की लोकेशन का पता (सर्वेक्षण/प्लॉट सं.) (कृपया 7/12 की एक प्रति संलग्न करें)	
2	अनार फार्म पंजीकरण संख्या	

	(बाग के नवीकरण की स्थिति में)						
3	कुल फार्म क्षेत्र (हैक्टेयर में)						
4	यदि वैश्विक गैप के साथ अनार फार्म पंजीकृत है तो विवरण दें (प्रति संलग्न करें)						
	प्रमाण-पत्र सं.						
	जारी करने की तिथि						
	वैधता की तिथि						
	पंजीकरण एजेंसी का नाम						
5	प्रत्येक प्लॉट के क्षेत्र के साथ फार्म में प्लॉट्स की संख्या						
	प्लॉट सं.	क्षेत्र (हैक्टेयर में)	सर्वेक्षण/ प्लॉट सं.	किस्म	वृक्षारोपण की तिथि	छंटाई की तिथि	संभावित उत्पादन (मैट्रिक टन में)
	प्लॉट सं.01						
	प्लॉट सं.02						
	प्लॉट सं.03						
6	हार्वेस्टिंग की संभावित तिथि						
7	यदि कोई पैकहाउस पंजीकृत है तो उसकी संख्या एवं वैधता						
8	50/- रुपए प्रति प्लॉट/ वर्ष का आवेदन शुल्क						
	चालान सं.						
	राजकोष का नाम						
	राजकोष में जमा भुगतान की तिथि						
9	पिछले वर्ष के निर्यात का विवरण						
	मैट्रिक टन में मात्रा						
	निर्यातक का नाम						
	पैकहाउस का नाम						
	प्रयोगशाला का नाम जहां सैम्पल का विश्लेषण किया गया है						
10	क्या एन.आर.एल , पुणे द्वारा पिछले सीज़न में इंटरनल अलर्ट नोटिस जारी						

	किया गया है (अनार के नवीकरण की स्थिति में फार्म विवरण दें)	
--	---	--

यह प्रमाणित है कि उपरोक्त जानकारी सही है और उपरोक्त प्लॉट निलंबन के अधीन नहीं है / अनार के निर्यात के लिए इसे रद्द नहीं किया गया है।

तिथि किसान का हस्ताक्षर

स्थान किसान का नाम

संलग्नक-2क भौतिक दस्तावेज़

प्लॉट पंजीकरण और क्षेत्र रसायन अनुप्रयोग रिकॉर्ड (किसान/निर्यातक द्वारा अनुरक्षित किया जाए)
(सैम्पलिंग के समय प्रयोगशाला के अधिकृत प्रतिनिधि को दी जाने वाले प्रति)

- 1) प्लॉट पंजीकरण संख्या :
- 2) प्लॉट पंजीकरण/नवीकरण की तिथि :
- 3) किसान/संचालक का नाम एवं पता :
- 4) प्लॉट की लोकेशन (लेआउट/ निर्देश चिह्न)* :
- 5) पंजीकृत फार्म/प्लॉट (हैक्टेयर) का कुल क्षेत्र :
- 6) अनार किस्मों के नाम :
- 7) रोपण की तिथि :
- 8) छंटाई की तिथि :
- 9) संभावित उत्पादन :
- 10) रसायन अनुप्रयोग मशीनरी उपयोग :
- 11) पैक हाउस पंजीकरण संख्या उसकी वैधता :
- 12) उपयोग हेतु तकनीकी प्राधिकरण :

क्र. सं	तिथि	छंटाई के बाद दिन	कृषि रसायन का व्यापार नाम	सक्रिय घटक	बैच सं. और तिथि	लक्ष्य कीट	निवारक/ मात्रिक	कृषि रासायनिक ग्राम/ मि.ली. प्रति लीटर	**प्रति प्लॉट में कृषि रासायनिक मात्रा	** जल प्रति प्लॉट	पूर्व हावर्स्ट अंतराल	हार्वेस्ट के दिन		स्प्रे का समय	संचालक का नाम एवं हस्ताक्षर
												सं भा वि त	वा स्त वि क		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

* फार्म/प्लॉटों के लेआउट का रेखाचित्र/स्केच संलग्न किया जाए जिसमें समीपवर्ती आवासीय संपत्तियां भी प्रदर्शित हों।

** प्लॉट का आकार अधिकतम 1.2 हैक्टेयर (अनुच्छेद 3.9 देखें) हो।

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित प्लॉट पर “अनार निर्यात हेतु प्रक्रियाएं” के अनुच्छेद 3.2 से 3.11 में दी गई प्रक्रिया के आधार पर काम किया गया है और उपरोक्त प्लॉट का विवरण एपीडा वेबसाइट पर अनार नेट पर बनाए रखा गया है।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि संलग्नक सहित पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति , प्लॉट का रेखाचित्र/मानचित्र लेआउट और इस हस्ताक्षरित संलग्नक को यथास्थिति किसान/निर्यातक को सौंप दिया गया है।

उपरोक्त जानकारी सही है। पिछले सीजन के दौरान इस प्लॉट का कुल उत्पादन मीट्रिक टन होने का अनुमान है। कृषि/बागवानी अधिकारी (नाम और हस्ताक्षर) द्वारा जांच और प्रमाणित किया गया है:

कृषि/बागवानी अधिकारी का आधिकारिक पता (अनिवार्य)

तिथि: किसान/प्राधिकृत संचालक का हस्ताक्षर
स्थान: पता (अनिवार्य)

सरकार

विभाग

निर्यात हेतु अनार फार्म पंजीकरण का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि _____ अनार के निर्यात के लिए प्रक्रिया के अनुसार _____ को जिला अनारक्षित कृषि / बागवानी अधिकारी के कार्यालय के साथ अनार उत्पादक / अनार निर्यातक के रूप में पंजीकृत किया गया है।

पंजीकृत अनार उत्पादक का विवरण निम्नलिखित है:

अनार उत्पादक का नाम

पूरा पता गांव

तालुक/मंडल जिला

क्र.सं.	सर्वेक्षण/जी.ए.टी सं.	प्लॉट सं.	किस्म	प्लॉट का क्षेत्र (हैक्टेयर)	फार्म पंजीकरण संख्या.

- 1) मानचित्र लेआउट संलग्न है।
- 2) इस प्रमाण-पत्र की मान्यता तिथि:
- 3) मैंने पंजीकरण के संबंध में सर्वेक्षण/जी.ए.टी संख्या का निरीक्षण कर लिया है और मेरी जानकारी में उपरोक्त सूचना सही है।

स्थान:



पंजीकरण प्राधिकरण एवं जिला अधीक्षक
कृषि / बागवानी अधिकारी

तिथि:

MH1107120901

निर्यात हेतु अनार के पंजीकरण के नियम एवं शर्तें

क) केवल अभ्यास पैकेज की अनुशंसा की जाए।

- ख) किसानों द्वारा केवल उन्हीं कृषि रसायनों का उपयोग किया जाए जिनके उपयोग की अनुमति है और जो कृषि रसायन संलग्नक-5 में सूचीबद्ध हैं।
- ग) गैर-ब्रांडेड, गैर-अनुशंसित या प्रतिबंधित कृषि रसायनों या अन्य हानिकारक रसायन का उपयोग न किया जाए।
- घ) अवशिष्ट परीक्षण के लिए सैम्पल को लेने के बाद किसी भी प्रकार के अन्य कीटनाशक को छिड़काव न किया जाए / लगाया न जाए।
- ङ) पंजीकृत किसान द्वारा इस कार्यालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले निर्धारित पंजिका में उनके द्वारा पालन किए गए अभ्यास पैकेजों का रिकॉर्ड बनाए रखा जाए।
- च) हार्वेस्ट के समय पंजीकृत किसान/निर्यातक द्वारा संलग्नक-5 में यह घोषणा प्रस्तुत की जाए कि प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए सैम्पल लेने के पश्चात किसी भी पेस्टनाशक , कीटनाशक, खरपतवारनाशक आदि का छिड़काव नहीं किया जाए/ लगाया नहीं जाए।
- छ) उनके द्वारा पंजीकरण रिकॉर्ड या पंजीकरण प्रमाण-पत्र में कोई संशोधन नहीं किया जाए।
- ज) उत्पादकों को अपंजीकृत फॉर्मों से अनार की सैम्पलिंग या निर्यात करने की अनुमति नहीं है।
- झ) आवेदक द्वारा प्रत्येक वर्ष नियत तिथि से पूर्व विस्तृत विवरण के साथ अनार बाग के पंजीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण किया जाए।

Annexure-3 - Physical Document

Declaration

(To be given by the farmer to the exporter)

I, _____, resident of _____ and having pomegranates farm with Plot(s) Registration Nos. _____, renewed on _____ (if applicable), hereby, certify that :

- 1) All plots under my/our farm (including those that are not intended to be utilized for export purposes) have been registered with the District Agriculture/Horticulture Office by following the procedure laid down in this document and that none of the plots mentioned above are under suspension/have been cancelled for export to the EU.
- 2) On _____, I have allowed drawl of the pomegranates samples by the authorized representative of _____ (laboratory) for testing. After drawl of samples as per procedure prescribed in Annexure-8 of the Procedures for Export of pomegranates, I have not sprayed any kind of chemicals or contaminants, insecticides, fungicides, weedicides, including herbal products (including growth regulators) on the pomegranates plot other than those recommended by NRC Pomegranates.
- 3) Harvesting of _____ MTs/Kgs. of pomegranates from my plot(s) has been carried out under my supervision on _____ and the pomegranates have been stored in _____ numbers of crates/boxes/etc.
- 4) I propose to effect export of the harvested pomegranates myself/through M/s (exporter). The address of cold storage/packhouse shall be as follows:

----- (APEDA Registration No. of pack house and its validity)
- 5) The balance quantity of approximately _____ MTs/Kgs. of pomegranates remaining in the plot(s) referred to above shall be informed to the District Agriculture/Horticulture Office.

Date:

Place:

Signature of Farmer/

Authorized person by the farmer
with Plot Registration Numbers

संलग्नक-4 (क) इलैक्ट्रॉनिक दस्तावेज़

अनार फार्म/प्लॉट की निरीक्षण रिपोर्ट को निरीक्षण प्राधिकरण (कृषि/बागवानी अधिकारी) और किसान के द्वारा पहले निरीक्षण (निर्यात हेतु अनार बागों के नवीन पंजीकरण/नवीकरण के समय) के द्वारा बनाए रखा जाएगा

1	किसान/उत्पादक का नाम और पता	
	पोस्ट	
	तालुक	
	जिला	
	राज्य	
	एस.टी.डी कोड सहित फोन नं.:	
	मोबाइल नं.	
	ई-मेल पता	
2	प्लॉट पंजीकरण संख्या और नवीकरण की तिथि	
3	प्लॉट का पता	
	सर्वेक्षण सं./ प्लॉट सं.	
	पोस्ट	
	तालुक	
	जिला	
	राज्य	
4	प्लॉट के प्लॉट मानचित्र का कुल क्षेत्र (कृपया फार्म फसल उत्पादन की सभी दिशाओं को निर्दिष्ट करें एवं संलग्नक-2 और मानचित्र लेआउट संलग्न करें)	
5	पंजीकरण देर से होने की स्थिति में सीमांकित क्षेत्रों को इंगित करें	
6	क्या प्लॉट , अच्छे कृषि अभ्यासों (जी.ए.पी) के लिए प्रमाणिकृत है , यदि हां तो मान्यता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें	
	प्रमाण-पत्र सं.	
	जारी होने और मान्यता की तिथि	
7	पिछले वर्ष का निर्यात विवरण	
	मात्रा (मीट्रिक टन में)	
	निर्यातक का नाम	

	पैकहाउस का नाम	
	उस प्रयोगशाला का नाम जहां सैम्पलों का विश्लेषण किया गया है	
8	क्या पिछले सीजन के दौरान पुणे स्थित एन.आर.एल से आंतरिक अलर्ट सूचना जारी की गई है	
	हां/नहीं (यदि हां तो अलर्ट सूचना का विवरण दें)	
9	खिलने की तिथि	
10	कीट एवं बीमारी से संबंधित फ़सल की स्थिति और फ़सल का चरण	
11	किसान को दिया गया कोई परामर्श	
12	निरीक्षण प्राधिकरण की अनुशंसाएं (क्या प्लॉट पंजीकरण / पंजीकरण के नवीकरण के लिए योग्य हैं)	
	हां/नहीं (यदि कोई विशिष्ट कारण नहीं है)	
13	निरीक्षण की तिथि	

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्लॉट का पंजीकरण विवरण एपीडा वेबसाइट पर वेब आधारित डाटाबेस पर बनाए रखा गया है

किसान/उत्पादक का हस्ताक्षर निरीक्षण प्राधिकरण का हस्ताक्षर

उत्पादक का नाम

कार्यालय की मुहर के साथ निरीक्षण प्राधिकरण का पूरा

नाम और पता

संलग्नक-4 (ख) इलैक्ट्रॉनिक दस्तावेज़

निर्यात योग्य पंजीकृत अनार के फार्म/ प्लॉट की निरीक्षण रिपोर्ट को निरीक्षण प्राधिकरण (कृषि/बागवानी अधिकारी) और निर्यात हेतु दूसरी एवं अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट को किसान द्वारा बनाए रखा जाए (इसकी प्रति को सैम्पलिंग के समय प्रयोगशाला के प्रतिनिधि को दिया जाए)

1	फार्म/प्लॉट पंजीकरण सं.	
2	अनार उत्पादक का नाम और पता	
	पूरा नाम	
	पोस्ट	
	तालुक	
	जिला	
	राज्य	
	फोन नं./मोबाइल नं.	
3	फॉर्म/प्लॉट का पता	
	सर्वेक्षण सं./जी.ए.टी सं.	
	पोस्ट	
	तालुक	
	जिला	
	राज्य	
4	जी.ए.पी प्रमाण-पत्र सं. (यदि कोई है)	
5	प्लॉट का कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)	
6	पहली निरीक्षण रिपोर्ट सं. और तिथि	
7	कीट एवं बीमारी से संबंधित फ़सल की स्थिति और फ़सल की गुणवत्ता	
	क) बैक्टीरियल ब्लाइट	हां/नहीं
	ख) विल्ट	हां/नहीं
	ग) लीग फ़ूट स्पोर्ट्स	हां/नहीं
	घ) फंगल ब्लाइट	हां/नहीं
	ड.) फ़ूट बोरर	हां/नहीं
	च) स्टेम बोरर	हां/नहीं
	छ) मिली बग	हां/नहीं
	ज) थ्रिप्स/एफिड्स/जेसिड्स/व्हाइट फ्लाइस	हां/नहीं

	झ) माइट्स	हां/नहीं
	ञ) नेमाटोइस	हां/नहीं
	ठ) विडीसीड्स	हां/नहीं
	ड) गुणवत्ता (ब्राउनिंग आदि) से संबंधित कोई अन्य अवलोकन	हां/नहीं
8	एगोकेमिकल्स की सूची के संबंध में स्प्रे रिकॉर्डों का सत्यापन और विभिन्न बीमारियों एवं कीट बीमारियों के नियंत्रण के लिए एन.आर.सी द्वारा अनुशंसा के अनुसार अन्य कृषि इनपुट	हां/नहीं (अगर नहीं है तो कृपया पुष्टि करें)
9	प्लॉट की संभावित कुल हार्वेस्ट (मीट्रिक टन) (हैक्टेयर में पौधों की संख्या और पौधों की औसत संख्या/फल का औसत वजन)	
10	हार्वेस्टिंग की संभावित तिथि	
11	उस अवशिष्ट प्रयोगशाला का नाम जहां सैम्पलों का विश्लेषण किया जा रहा है	
12	क्या एगोकेमिकल्स, पौध पैदावार नियंत्रक और अन्य रसायनों का समय एन.आर.सी अनार अनुशंसा के अनुसार है	हां/नहीं (अगर नहीं है तो कृपया पुष्टि करें)
13	क्या किसान द्वारा वर्ष के दौरान कृषि/बागवानी अधिकारी के अन्य परामर्श/अनुशंसा का पालन किया है	हां/नहीं (अगर नहीं है तो कृपया पुष्टि करें)
14	क्या सैम्पलिंग को अवशिष्ट प्रयोगशाला द्वारा संपन्न किया गया है (कृपया प्रक्रिया का अनुच्छेद 4.7 देखें)	अनुशंसित/ गैर-अनुशंसित
15	सैम्पलों को निकालने की गैर-अनुशंसा का कारण (कृपया प्रक्रिया का अनुच्छेद 4.7 देखें)	
16	इस स्तर पर कीटों और बीमारियों और अनार की गुणवत्ता के बारे में किसान को दी गई सलाह / अनुशंसा	
17	निरीक्षण तिथि	

अनार उत्पादकों का हस्ताक्षर निरीक्षण अधिकारी का हस्ताक्षर
उत्पादक का नाम निरीक्षण अधिकारी की मुहर सहित पूरा नाम
और पता

CC: 1. पंजीकरण प्राधिकरण (अनार फार्म/प्लॉट)
2. अवशिष्ट प्रयोगशाला के प्रतिनिधि

सैम्पल निकालने वाली प्रयोगशाला द्वारा पृष्ठांकन

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने स्वयं ही प्रयोगशाला विश्लेषण के उद्देश्य से और संलग्नक-7 में दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए इस प्लॉट से अनारों के सैम्पलों को निकाला है। मैंने वर्तमान में मान्य प्लॉट ड्राव्ग/मानचित्र लेआउट पंजीकरण की एक प्रति प्राप्त की है और यह प्लॉट मानचित्र के अनुसार है। मैं यह पंजीकृत करता हूं कि यह प्लॉट मान्य है। मैंने संलग्नक-2 की प्रति भी प्राप्त की है।

तिथि: हस्ताक्षर
स्थान: नामित प्रयोगशाला के प्राधिकृत प्रतिनिधि
का नाम और कार्यालय का पता



भा.कृ.अनु.प.- राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केन्द्र, सोलापुर
ICAR - National Research Centre on Pomegranate
 (Indian Council of Agricultural Research)
 NH-65, Solapur-Pune Highway, Kegaon, Solapur-413 255 (M.S.)
 T-(0217) 2354330, 2350074, 2350263, F-(0217) 2353533
 E mail- nrcpomegranate@gmail.com, www.nrcpomegranate.icar.gov.in
 (ISO 9001:2008 Certified Institute)



List of Agrochemicals with CIB&RC label claim for use in Pomegranate

Sr. No.	Pesticide recommended for major disease and pest	Nature of Pesticide	Dose on Formulation basis	EU MRL (mg/kg)	PHI (Days)
I. Growth Hormone (for defoliation)					
1	*Ethephon 39% SL	S	1.0- 2.5ml/l	0.05	135
II. Leaf and Fruit Spots and Fruit Rots (<i>Alternaria alternata</i>, <i>Cercospora punicae</i>, <i>Colletotrichum sp.</i>, <i>Drechslera sp.</i>, <i>Sphaceloma sp etc.</i>)					
2	Difenoconazole 25% EC	S	0.5-1 .0 ml/l	0.10	60
3	Iprobenphos (Kitazin) 48 EC.	S	1-0-1.5ml/l	0.01	60
4	#Metiram 55% + Pyraclostrobin 5% WG	S+NS	1.5-1.75g/l	0.05+0.02	130
5	#Propineb 70% WP	NS	3.0g/l	0.05	100
III. Sucking pests: Thrips, Aphids, Whitefly and Fruit borer/Pomegranate butterfly					
6	Cyantraniliprole 10.26% OD	S	0.7-0.9 ml/l	0.01	40
IV. Scale insects, Stem borer and bark eating caterpillar					
7	#**Quinalphos 25% EC	NS	0.5ml/l	0.01	180
Note: * To be used at defoliation stage only ** To be used in rest period only # In EU Pesticides Watch list; Use with caution					

Note:

- ☐ Recommended agrochemicals for the management of various insect pests and diseases along with their dose, PHI and MRL values are recommendations by Agricultural Universities and Institutes & available research literature, hence are of advisory nature for pomegranate cultivation and therefore, not covered under any legal scrutiny.
- As the data based on scientific field trials on PHI for pomegranate are not available for all chemicals hence, are based on available residue analysis reports of limited pomegranate samples of harvested produce during previous years or PHI for other fruit crops grown in similar climatic conditions and hence, may change at later stage on availability of scientific data. Therefore PHI given here are only indicative and *ad hoc* in nature and are also of advisory nature, therefore, not covered under any legal scrutiny.
- All the doses mentioned above are for high volume sprayers, where normal spray volume is 800-1000 l/ha. Spray volume can however be changed as per the efficiency of sprayers used. However, the amount of each pesticide (active ingredient) recommended for 1 ha on the basis of 1000 l spray solution should be strictly maintained to minimize pesticide residues.
- ☐ The responsibility of usage of chemicals for the management of any of the above pests and diseases will rest with the growers in compliance with the requirements of the importers / EU and, in the minimum; all chemicals listed in Annexure 9 should be tested.

मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं की सूची

सं.	प्रयोगशाला का नाम और संपर्क विवरण	स्थिति
	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) पी.बी . सं.3, मंजरी फार्म पोस्ट , सोलापुर रोड , पुणे 412307 फोन: +91-20-26956002 ई.पी.ए.बी.एक्स: +91-20-26956000 फैक्स: +91-20-26956099 nrcgrapes@gmail.com; apedanrl@gmail.com;	पौध उत्पत्ति के उत्पादों के लिए एन.आर.एल
1	एनवायरोकेयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ए-7 एम.आई.डी.सी वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट मेन रोड ठाणे 400604 फोन: 022-25838285-88 फैक्स: 25838289 info@envirocare.co.in	आई.एस.ओ/आई.ई.सी-17025 प्रत्यायित एवं एपीडा द्वारा मान्यता-प्राप्त
2	यूरोफिन्स एनालेटिकल सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड #540/1, डोड्डनाकुंडि इंडस्ट्रियल एरिया2 , हूडी , व्हाइटफील्ड , बंगलुरु 560048 फोन: 080-30982500 फैक्स: 41680405 SanjeevKhatri@eurofins.com; GouriSatpathy@eurofins.com;	
3	फर्स्ट सोर्स लेबोरेटोरी सॉल्यूशन एल.एल.पी (एनालेटिकल सर्विसेस) पहली मंजिल प्लॉट नं. ए1/बी, आई.डी.ए नाचाराम क्रॉस रोड हैदराबाद 500076 फोन: 040-27177036 फैक्स: 040-27174037 crm@firstsourcels.com; sudhakar@firstsourcels.com;	
4	जियो केम लेबोरेटोरीज़ प्राइवेट लिमिटेड प्रगति , एडजेसेंट टू क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंजूर मार्ग (ई) मुम्बई 400042 फोन: 022-61915100 फैक्स: 022-61915101 neel@geochemgroup.com; sureshbabu.p@geochem.net.in; laboratory@geochem.net.in;	
5	इंटरफील्ड्स लेबोरेटोरीज़ XIII/1208, इंटरप्रिंट हाउस कोच्चि 682005 फोन: 0484-2217865, 2210915, 221838 qm@ifl.in; gm@ifl.in; jp@ifl.in;	
6	माइक्रोकेम सिलीकर प्राइवेट लिमिटेड माइक्रोकेम हाउस ए-513 टी.टी.सी इंडस्ट्रियल एरिया एम.आई.डी.सी महापे नवी मुम्बई 400701 फोन: 022-27787800 vidhya.gangar@mxns.com; jeetendra.patil@mxns.com; qa.in@mxns.com;	

7	<p>नेशनल कोलेटरल मेनेजमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड (एन.सी.एम.एस.एल) टीम टॉवर्स, चौथी मंजिल , प्लॉट नं.- ए-1/2/ए इंडस्ट्रियल पार्क आई.डी.ए-उप्पल हैदराबाद 500039 फोन: 040-66374700, 09959333267 Ganesh.r@ncmsl.com; vidya.k@ncmsl.com;</p>	
8	<p>राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एन.एच.आर.डी.एफ) कीटनाशक अवशिष्ट विश्लेषण प्रयोगशाला अनुसंधान कॉम्प्लेक्स चिट्टेगांव फाटा पी.ओ धर्ना सांगवी तालुक . निफड नासिक औरंगाबाद रोड नासिक 422003 फोन: 02550-237551, 237816 फैक्स: 237947 nhrdf_nsk@sancharnet.in; drpkgupta11@gmail.com;</p>	
9	<p>नवल एनालेटिकल लेबोरेटोरीज़ प्लॉट 100 न्यू सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट श्रीनगर, हॉसुर 635109 फोन: 04344-329718, 09894785841 green_balu74@yahoo.com; ecogreen.labs@gmail.com;</p>	
10	<p>टी.यू.वी इंडिया लिमिटेड (टी.यू.वी नॉर्ड पुणे) सर्वेक्षण सं: 423/1 एंड 3/2 पराशंकर ऑटो (बनेर) के पास शुष-पाषाण रोड पुणे 411021 फोन: 020- 67900000 foodlab@tuv-nord.com; mumbai@tuv-nord.com;</p>	
11	<p>टी.यू.वी सुड साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड नं. 151 सेकेंड सी मेन स्टेज पीन्या इंडस्ट्रियल एस्टेट बंगलुरु 560058 फोन: 080-67458000 फैक्स: 080-67458058 suresh.kumar@tuv-sud.in; meena.mariappan@tuv-sud.in;</p>	
12	<p>विमता लैब्स लिमिटेड भक्ति जेनेसिस 5वीं मंजिल क्रं.सं. 245 वाकड-हिंजवाडी वाकड पुणे 411057 फोन: 020-67404040 shriram.kulkarni@vimta.com; foodlab.pune@vimta.in;</p>	

**मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं/एन.आर.एल द्वारा पालन किए जाने वाले फार्म/प्लॉट से अनार की
सैम्पलिंग की प्रक्रिया**

क. विश्लेषण के लिए टेबल अनारों की सैम्पलिंग हेतु प्रक्रिया

1. सैम्पल कौन निकालेगा?

एपीडा की नामित प्रयोगशाला द्वारा मान्यता-प्राप्त व्यक्तियों (संलग्नक 6 के अनुसार) द्वारा सैम्पल निकाले जाएं।

- टेबल अनारों की सैम्पलिंग के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के पास मान्यता-प्राप्त से प्राधिकरण पत्र हो।
- सैम्पलिंग हेतु प्राधिकृत व्यक्तियों के पास प्रयोगशाला द्वारा जारी पहचान पत्र हो।

2. किस बाग से सैम्पल एकत्र किया जाना है?

सैम्पलों को केवल उन बागों से लिया जाए जो संबंधित राज्य सरकार के जिला अधीक्षक कृषि / बागवानी अधिकारी के साथ निर्यात के लिए पंजीकृत हैं । सैम्पलिंग से पूर्व , पंजीकृत बाग से संबंधित दस्तावेजों को प्रयोगशाला के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सत्यापित / प्रतियों को प्राप्त किया जाएगा:

- राज्य सरकार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र
- अनार बाग/ प्लॉट (संलग्नक-2) का पंजीकरण रिकॉर्ड और रेखाचित्र/ मानचित्र लेआउट।
- कृषि/बागवानी अधिकारी द्वारा उपलब्ध किए गए प्लॉट रेखाचित्र/ मानचित्र लेआउट स्पष्ट न होने की स्थिति में प्रयोगशाला प्रतिनिधि द्वारा मुख्य दस्तावेज के भाग 5 में दिए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर सैम्पल को बनाना जारी रखा जाए। हालांकि , ऐसा करने पर उसके द्वारा रेखाचित्र के लिए स्पष्टीकरण उपलब्ध किया जाए और उस पर किसान का पृष्ठांकन प्राप्त किया जाए एवं वेबसाइट पर उसके या उसके प्रतिनिधि को एक प्रति उपलब्ध की जाए।
- किसान/निर्यातक द्वारा फील्ड अवशिष्ट आवेदन रिकॉर्ड बनाए रखा जाए (संलग्नक-2)।

- कृषि/बागवानी अधिकारी की दूसरी और अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट [संलग्नक-4(ख)]। यह परामर्श दिया जाता है कि संलग्नक-4(क) को भी देखा जाए।

- किसान और निर्यातक द्वारा हस्ताक्षरित सैम्पल स्लिप (संलग्नक-8)।

3. उस खण्ड को निर्दिष्ट किया जाए जहां से सैम्पल निकाला जाएगा?

पंजीकरण प्रमाण-पत्र, मानचित्र लेआउट और संलग्नक-2 में दी गई जानकारी को खण्ड को निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग किया जाए। यह अपेक्षा भी की जाती है कि खण्ड/प्लॉट के रेखाचित्र, कृषि/बागवानी अधिकारी की पहली निरीक्षण रिपोर्ट [संलग्नक-4(क)] के साथ उपलब्ध हो। अतः, प्लॉट को खण्ड के नाम/प्लॉट, दिशा, लैंडमार्क जैसे सड़क, कुआं, पंपहाउस, शेड आदि जैसे निकटतम स्थल के आधार पर निर्धारित किया जाए।

- खण्ड/प्लॉट का वह क्षेत्र जहां से सैम्पलों को लिया जाना है उनका क्षेत्रफल 4 हैक्टेयर से अधिक न हो। यदि क्षेत्र 4 हैक्टेयर से अधिक है तो हर 4 हैक्टेयर के लिए अतिरिक्त सैम्पलों को निकाला जाए।
- सैम्पलिंग के लिए चयनित क्षेत्र/ खण्ड/ प्लॉट की एक ही अपेक्षित तिथि और कीटनाशक अनुप्रयोगों की अनुसूची होनी चाहिए। यदि उपरोक्त ऐसी नहीं है तो खण्ड के प्रत्येक रूपांतर से पृथक सैम्पल लिया जाए। क्षेत्र एक भाग के रूप में माना जाएगा जो एक सैम्पल चयन करने लिए 4 हैक्टेयर से अधिक न हो।
- सैम्पलिंग के लिए चयनित प्रत्येक भाग/ क्षेत्र/ ब्लॉक/ प्लॉट के लिए पृथक संलग्नक-2, संलग्नक-4(क), 4(ख) और संलग्नक-8 को प्राप्त किया जाए।
- निम्नलिखित उदाहरण के आधार पर क्षेत्र को निर्धारित किया जाएगा:

मान लें कि एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी 15 फीट है और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 10 फीट है।

एक पौधे द्वारा कुल ग्रहण किया गया क्षेत्र है = 150 वर्ग फीट

एक प्लॉट का क्षेत्र (4 हैक्टेयर \cong 40,000 वर्ग फीट है जो 4,43,556 वर्ग फीट के बराबर है एक प्लॉट (4 हैक्टेयर) में पौधों की कुल संख्या = 4,43,556/150 = 2,960 पौधे (लगभग)

अतः, एक प्लॉट (चार हैक्टेयर) पर 2,960 पौधे होते हैं जो 10 फीट दूरी से 15 फीट की दूरी पर होते हैं।


4. सैम्पल का चयन

एकत्रित सैम्पल, चयनित भाग/ खण्ड/ क्षेत्र/ प्लॉट में सबसे अधिक प्रतिनिधिक हो।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि

- सैम्पलिंग के लिए सबसे छोटी इकाई एक फल हो, न कि फल का एक भाग हो।
- सैम्पलिंग के लिए चयनित फल का आकार खण्ड में उपलब्ध निर्यात ग्रेड फलों से हो। छोटे आकार और बहुत बड़े फलों की सैम्पलिंग को वर्जित किया गया हो।
- चंदवा में रखे गए फलों , या विनाशकारी कीट (थ्रिप्स , माइली बग्स आदि) या बीमारी (बैक्टीरियल ब्लाइट, धब्बे आदि) या कोई भी विकार (आदप द्रवदाह , चटके आदि) के संक्रमण वाले फलों की सैम्पलिंग को वर्जित किया गया हो।
- फलों के सैम्पल को इस उद्देश्य के लिए पूरे चयनित भाग से एकत्रित किया जाए।

चयनित भाग / क्षेत्र / ब्लॉक / प्लॉट को नीचे दिए गए आरेख के अनुसार स्पॉट की संख्या में विभाजित किया जा सकता है और सैम्पलिंग के लिए प्रत्येक स्थान से लगभग 2 पौधों का चयन किया जा सकता है



- प्रतिबंधित करने के बजाय अभ्यासों के समान पैकेज वाले भूखंडों के समूह से एक सैम्पल लिया जाए और प्रति प्लॉट एक सैम्पल लेना अनिवार्य हो। ग्लोबल जी.ए.पी version IFA4.0_Mar11_AF_CB_FV_4.0-2 धारा सं. CB 8.6 देखें।
- वह स्थिति जहां स्पॉट 9 से अधिक न हों।
- चयनित स्पॉट में 25 से 30 पौधे हों। इन पौधों से सैम्पलिंग के लिए यादृच्छिक तरीके से दो या तीन पौधों को चुना जाए। हालांकि , चयनित पौधे कम चंदवा, कम संख्या में फल वाला, कीटों से संक्रमित, भौतिक रूप से क्षतिग्रस्त आदि रूप में असामान्य न हो।
- प्रत्येक चयनित पौधे से सैम्पलिंग के लिए दो से तीन फलों को हार्वेस्ट किया जाएगा। फलों को करतनी की सहायता से पेडुनकल पर गाँठ के ऊपर से काटा जाएगा। प्रत्येक स्पॉट से चयनित सैम्पल का कुल वज़न 1.00 कि.ग्रा हो (4 से 5 फल) और उसे मौलिक सैम्पल कहा जाएगा।
- एक भाग से सभी मौलिक सैम्पलों को मिश्रित किया जाएगा और उन्हें बल्क सैम्पल कहा जाएगा। बल्क सैम्पल का आकार एक प्लॉट से न्यूनतम 9 कि.ग्रा. वज़न वाले 35-40 फलों का हो।
- प्रयोगशाला सैम्पल को बल्क सैम्पल में से फलों को यादृच्छिक रूप से चयनित करने के द्वारा निकाला जाए। न्यूनीकरण सिद्धांत के बाद प्रयोगशाला सैम्पल (4 कि.ग्रा.) (न्यूनतम 20 फल) के लिए यादृच्छिक रूप से फलों का चयन किया जाए। प्रयोगशाला के लिए 4 कि.ग्रा. से अधिक सैम्पलों में से विश्लेषण के लिए सैम्पल के रूप में 2 डिब्बों में आधे फलों को पृथक रूप से पैक किया जाए (10 फलों) और स्टोरेज के लिए डिब्बों को (10 फलों के) पैक किया जाए। किसी विवाद की स्थिति में विश्लेषण आंकड़े को अमान्य करने के लिए फलों का स्टोरेज रखा जाता है।
- प्रतिकूल सैम्पल को सैम्पल की जांच रिपोर्ट के जारी होने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए 90-95% संबंधित आर्द्रता के साथ 0 डिग्री (या एन.आर.एल के दिशा-निर्देशों के आधार) पर कोल्ड स्टोरेज में तुरंत ही स्टोर किया जाए।
- तापमान और नमी की समय-समय पर रिकॉर्डिंग के लिए एक ठंडे कक्ष में डेटा लॉगर स्थापित किया जाना चाहिए।

- यह प्रयोगशाला का उत्तरदायित्व है कि वह देखे कि जब तक विवाद की स्थिति में सैम्पल की आवश्यकता न हो तब तक स्टोरेज सैम्पल की सील को अस्पष्ट रखा जाए।

5. सैम्पल की पैकेजिंग और परिवहन

दो सैम्पलों को अनारों के परिवहन के लिए डिजाइन किए गए साफ एवं विशुद्ध नालीदार कार्डबोर्ड के डिब्बे में पृथक रूप से पैक किया जाए। डिब्बों को सेलोफेन टेप से सील किया जाए। सैम्पल स्लिप (संलग्नक-8) को पॉलिथीन कवर में रख उसे डिब्बे के अंदर रखा जाए। निम्नलिखित जानकारी के साथ डिब्बों के ऊपर लेबल लगाएं जाएं:

- अवशिष्ट नियंत्रण के लिए अनार सैम्पल
- सैम्पल स्लिप संख्या
- सैम्पलिंग की तिथि
- प्रयोगशाला के प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम

सील किए गए सैम्पल को सैम्पलिंग के 24 घंटे के अंदर प्रयोगशाला को प्रेषित कर दिया जाए।

6. सैम्पलिंग के लिए आवश्यक वस्तुओं की सूची

- करतनी या हार्वेस्टिंग की कैंची
- पेपर बैग या पॉलिथीन बैग
- पेपर, मेकर्स, पैंसिल
- हैंड ग्लोव्स
- 5 कि.ग्रा. की क्षमता वाला नालीदार कार्डबोर्ड का डिब्बा
- लेबल
- डोरा
- सेलोफेन टेप, पैकेजिंग टेप
- सील
- वज़न नापने वाला उपकरण

ख. प्रतिबंधित एगोकेमिकल्स को मॉनिटर करने के लिए मृदा सैम्पलिंग हेतु प्रक्रिया

उन बागों की स्थिति में जिनके फलों में पिछले सीजन में प्रतिबंधित एगोकेमिकल्स पाए गए थे, मानक प्रक्रिया का पालन करके इनके मृदा सैम्पल एकत्रित किए जाएंगे और इन रसायनों का विश्लेषण किया जाएगा।

ग. प्रतिबंधित एगोकेमिकल्स को मॉनिटर करने के लिए सिंचाई के पानी के सैम्पल लेने हेतु प्रक्रिया

उन बागों की स्थिति में जिनके फलों में पिछले सीजन में प्रतिबंधित एगोकेमिकल्स पाए गए थे, मानक प्रक्रिया का पालन करके इनके पानी के सैम्पल एकत्रित किए जाएंगे और इन रसायनों का विश्लेषण किया जाएगा।

अनार के लिए सैम्पल स्लिप

(किसानों/ पट्टेदार किसान/ पट्टेदार किसान संगठन/ निर्यातकों द्वारा दिया जाए)

सं.	पहला सैम्पल/ पुनःसैम्पल	सैम्पल स्लिप सं.
	(अनुच्छेद 6.9 देखें; जो लागू न हों उन्हें चिन्हित करें)	
1)	किसान का नाम और पता	
2)	प्लॉट पंजीकरण सं. और मान्यता	
3)	सैम्पल किए गए प्लॉट का पता/ लोकेशन	
4)	फसल और किस्म	
5)	इस सैम्पल स्लिप द्वारा कवर किए गए प्लॉट का कुल क्षेत्र	
6)	इस सैम्पल स्लिप द्वारा कवर किए गए संलग्नक 5 (ख) के आधार पर कृषि/ बागवानी अधिकारी द्वारा घोषित संभावित उत्पादन (मैट्रिक टन में)	
7)	कीट एवं बीमारियों से संबंधित फसल की स्थिति	
8)	निकाले गए सैम्पल में फलों की संख्या (प्रति प्लॉट)	
9)	प्रयोगशाला सैम्पल (स्टोरेज सैम्पल सहित) में फलों की संख्या	
10)	खेत में निकाले गए सैम्पल की तिथि	
11)	क्या मृदा या जल की जांच की गई है (यदि लागू हो तो कृपया रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें)	
12)	पैक हाउस पंजीकरण सं. और उसकी मान्यता (यदि लागू हो)	

संलग्नक-3 की प्रति संलग्न है।

तिथि: निर्यातक का हस्ताक्षर किसान/पट्टेदार किसान/ पट्टेदार किसान संगठन का हस्ताक्षर
(निर्यातक का नाम) (किसान का नाम)

1. मैंने स्वयं अनार निर्यात के लिए प्रक्रिया के संलग्नक-7 में दी गई प्रक्रिया को अपना कर उपरोक्त प्लॉट से इस सैम्पल को निकाला है।
2. यह सैम्पल उपरोक्त प्लॉट से लिया गया है जिसे _____ (किसान/निर्यातक का नाम) द्वारा निर्यात किए जाने के लिए अभीष्ट है और इसके लागू होने पर प्लॉट पंजीकरण प्रमाण-पत्र पर एक पृष्ठांकन भी किया गया है।

3. मैंने किसान से पंजीकरण प्रमाण-पत्र , संलग्नक-2 की एक प्रति और संलग्नक-4(ख) की मूल प्रति भी प्राप्त कर ली है।
4. यह, इस प्रयोगशाला की एपीडा स्वीकृति वर्तमान तिथि से मान्य है।

तिथि: हस्ताक्षर

स्थान: नामित प्रयोगशाला के
अधिकृत प्रतिनिधि का नाम
कार्यालयी पता:

तिथि: 07/07/09/2017

अनार निर्यात के लिए विश्लेषण किए जाने वाले एगोकेमिकल्स की सूची

क्र.सं.	रसायन	हार्मोनाइज्ड ई.यू- एम.आर.एल (मि.ग्रा/कि.ग्रा)
1.	1-Naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid (sum of 1-naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid and its salts, expressed as 1-naphthylacetic acid)	0.06*
2.	2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol	0.01*
3.	2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, its esters expressed as 2,4-D)	0.05*
4.	4-bromo-2-chlorophenol (metabolite of Profenophos)	0.01*
5.	4- CPA (4 Chlorophenoxy acetic acid)	0.01*
6.	6-Benzyl adenine	0.01*
7.	Abamectin (sum of avermectin B1a, avermectin B1b and delta-8,9 isomer of avermectin B1a, expressed as avermectin B1a) (F) (R)	0.01*
8.	Acephate	0.01*
9.	Acetamiprid (R)	0.01*
10.	Alachlor	0.01*
11.	Aldrin and Dieldrin (Aldrin and dieldrin combined expressed as dieldrin) (F)	0.01*
12.	Allethrin and Bioallethrin	0.01*
13.	Ametoctradin (R)	0.01*
14.	Atrazine (F)	0.05*
15.	Azadirachtin	0.01*
16.	Azoxystrobin	0.01*
17.	Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-M (sum of isomers)	0.05*
18.	Bendiocarb	0.01*
19.	Benomyl (see carbendazim) (sum of benomyl and carbendazim expressed as carbendazim) (R)	0.1*
20.	Bifenazate (sum of bifenazate plus bifenazate-diazene expressed as bifenazate) (F)	0.02*
21.	Bifenthrin (F)	0.01*
22.	Bitertanol (F)	0.01*

23.	Boscalid (F) (R) (A)	0.01*
24.	Buprofezin (F)	0.05*
25.	Butachlor	0.01*
26.	Cadmium	0.05#
27.	Captafol (F)	0.02*
28.	Captan (Sum of captan and THPI, expressed as captan) (R) (A)	0.03*
29.	Carbaryl (F)	0.01*
30.	Carbendazim and benomyl (sum of benomyl and carbendazim expressed as carbendazim) (R)	0.1*
31.	Carbofuran (sum of carbofuran (including any carbofuran generated from carbosulfan, benfuracarb or furathiocarb) and 3-OH carbofuran expressed as carbofuran) (R)	0.01*
32.	Carboxin	0.05*
33.	Cartap hydrochloride	0.01*
34.	Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) (F)	0.40
35.	Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane) (F) (R)	0.01*
36.	Chlorfenapyr	0.01*
37.	Chlorfenvinphos (F)	0.01*
38.	Chlorfluazuron	0.01*
39.	Chlormequat (CCC)	0.05*
40.	Chlorothalonil (R)	0.01*
41.	Chlorpropham (F) (R) (A)	0.01*
42.	Chlorpyrifos (F)	0.05*
43.	Chlorpyrifos-methyl (F)	0.05*
44.	Clothianidin	0.01*
45.	Copper compounds (Copper)	20.00
46.	Cyantraniliprole	0.01*
47.	Cyazofamid	0.01*
48.	Cyfluthrin (cyfluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) (F)	0.02*
49.	Cymoxanil	0.01*
50.	Cypermethrin (cypermethrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) (F)	0.05*
51.	Dazomet (Methylisothiocyanate resulting from the use of dazomet and metam)	0.02*
52.	DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT) (F)	0.05*
53.	Deltamethrin (cis-deltamethrin) (F)	0.01*

54.	Diafenthiuron	0.01*
55.	Diazinon (F)	0.01*
56.	Dichlorvos	0.01*
57.	Dicofol (sum of p, p' and o,p' isomers) (F)	0.02*
58.	Dieldrin (see Aldrin)	0.01*
59.	Difenoconazole	0.1
60.	Diflubenzuron (F) (R)	0.05*
61.	Dimethoate (sum of dimethoate and omethoate expressed as dimethoate) will be amended as dimethoate by SANTE 11901/2016	0.02*
62.	Dimethomorph (sum of isomers)	0.01*
63.	Dinocap (sum of dinocap isomers and their corresponding phenols expressed as dinocap) (F)	0.02*
64.	Dinotefuran	0.01
65.	Diquat	0.01*
66.	Dithianon	0.01*
67.	Dithiocarbamates (expressed as CS ₂ , including maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram and ziram)	0.05*
68.	Diuron	0.01*
69.	Dodine	0.01*
70.	Edifenphos	0.01*
71.	Emamectin benzoate B1a, expressed as emamectin	0.01*
72.	Endosulfan (sum of alpha- and beta-isomers and endosulfan-sulphate expresses as endosulfan) (F)	0.05*
73.	Endrin (F)	0.01*
74.	Epoxiconazole (F)	0.05*
75.	Ethephon	0.05*
76.	Ethion	0.01*
77.	Ethiprole	0.01*
78.	Etofenprox (F)	1.00
79.	Etoxazole	0.01*
80.	Famoxadone (F)	0.01*
81.	Fenamidone	0.01*
82.	Fenarimol	0.02*
83.	Fenazaquin	0.01*
84.	Fenhexamid (F)	0.01*
85.	Fenitrothion	0.01*

86.	Fenobucarb	0.01*
87.	Fenpropathrin	0.01*
88.	Fenpyroximate (F)	0.05*
89.	Fenthion (fenthion and its oxigen analogue, their sulfoxides and sulfone expressed as parent) (F)	0.01*
90.	Fenvalerate (any ratio of constituent isomers (RR, SS, RS & SR) including esfenvalerate) (F) (R)	0.02*
91.	Fipronil (sum fipronil + sulfone metabolite (MB46136) expressed as fipronil) (F)	0.005*
92.	Flonicamid: sum of flonicamid, TFNA and TFNG (R)	0.03*
93.	Fluazifop-P (sum of all the constituent isomers of fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as fluazifop)	0.01*
94.	Flubendiamide (F)	0.01*
95.	Flufenacet (sum of all compounds containing the N fluorophenyl-N-isopropyl moiety expressed as flufenacet equivalent)	0.05*
96.	Flufenoxuron (F)	0.05*
97.	Flufenzin	0.02*
98.	Fluopicolide	0.01*
99.	Fluopyram (R)	0.01*
100.	Flusilazole (F) (R)	0.01*
101.	Fluxapyroxad	0.01*
102.	Fosetyl-Al (sum of fosetyl, phosphonic acid and their salts, expressed as fosetyl)	2.00*
103.	Glufosinate-ammonium (sum of glufosinate, its salts, MPP and NAG expressed as glufosinate equivalents)	0.1
104.	Glyphosate	0.1*
105.	Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor) (F)	0.01*
106.	Hexachlorocyclohexane (HCH), sum of isomers, except the gamma isomer	0.01*
107.	Hexaconazole	0.01*
108.	Hexythiazox	0.50
109.	Homobrassinolide	0.01*†
110.	Imidacloprid	1.00
111.	Indoxacarb (sum of indoxacarb and its R enantiomer) (F)	0.02*
112.	Iodosulfuron-methyl (sum of iodosulfuron-methyl and its salts, expressed as iodosulfuron-methyl)	0.01*
113.	Iprobenphos	0.01*
114.	Iprodione (R)	0.01*
115.	Iprovalicarb	0.01*

116.	Isoprothiolane	0.01*
117.	Isoproturon	0.01*
118.	Kresoxim-methyl (R)	0.01*
119.	Lambda-Cyhalothrin (F) (R)	0.02*
120.	Lead	0.10
121.	Lindane (Gamma-isomer of hexachlorocyclohexane (HCH)) (F)	0.01*
122.	Linuron	0.05*
123.	Lufenuron(F)	0.02*
124.	Malathion (sum of malathion and malaoxon expressed as malathion)	0.02*
125.	Mandipropamid	0.01*
126.	Mepiquat (sum of mepiquat and its salts, expressed as mepiquat chloride)	0.02*
127.	Meptyldinocap (sum of 2,4 DNOPC and 2,4 DNOP expressed as meptyldinocap)	0.05*
128.	Metalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including metalaxyl-M (sum of isomers))	0.05*
129.	Methamidophos	0.01*
130.	Methomyl and Thiodicarb (sum of methomyl and thiodicarb expressed as methomyl)	0.01*
131.	Metolachlor and S-metolachlor (metolachlor including other mixtures of constituent isomers including S-metolachlor (sum of isomers))	0.05*
132.	Metrafenone (F)	0.01*
133.	Metribuzin	0.01*
134.	Milbemectin (sum of milbemycin A4 and milbemycin A3, expressed as milbemectin)	0.02*
135.	Monocrotophos	0.01*
136.	Myclobutanil (R)	0.02*
137.	Nitenpyram	0.01*
138.	Nereistoxin	0.01*
139.	Novaluron (F)	0.01*
140.	Omethoate (refer to Dimethoate)	0.02
141.	Oxadiazon	0.05*
142.	Oxycarboxin	0.01*
143.	Oxydemeton-methyl (sum of oxydemeton-methyl and demeton-S-methylsulfone expressed as oxydemeton-methyl)	0.01*
144.	Oxyfluorfen	0.05*
145.	Paclobutrazol	0.50
146.	Paraquat	0.02*

147.	Parathion (F)	0.05*
148.	Parathion-methyl (sum of Parathion-methyl and paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl)	0.01*
149.	Penconazole (F)	0.05*
150.	Pencycuron (F)	0.05*
151.	Pendimethalin (F)	0.05*
152.	Permethrin (sum of isomers) (F)	0.05*
153.	Phenthoate	0.01*
154.	Phorate (sum of phorate, its oxygen analogue and their sulfones expressed as phorate)	0.01*
155.	Phosalone	0.01*
156.	Phosphamidon	0.01*
157.	Picoxystrobin (F)	0.01*
158.	Pirimiphos-methyl (F)	0.01*
159.	Profenofos (F)	0.01*
160.	Propamocarb (Sum of propamocarb and its salts, expressed as propamocarb) (R)	0.01*
161.	Propanil	0.01*
162.	Propargite (F)	0.01*
163.	Propetamphos	0.01*
164.	Propiconazole (sum of isomers) (F)	0.01*
165.	Propoxur	0.05*
166.	Pymetrozine (A) (R)	0.02*
167.	Pyraclostrobin (F)	0.02*
168.	Pyridaben (F)	0.50
169.	Pyriproxyfen (F)	0.05*
170.	Quinalphos (F)	0.01*
171.	Simazine	0.01*
172.	Spinetoram (XDE-175)	0.05*
173.	Spinosad (spinosad, sum of spinosyn A and spinosyn D) (F)	0.02*
174.	Spirodiclofen (F)	0.02*
175.	Spiromesifen	0.02*
176.	Spirotetramat and its 4 metabolites BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy, and BYI08330 enol-glucoside, expressed as spirotetramat (R)	0.50
177.	Streptomycin Sulphate	0.01*

178.	Tau-Fluvalinate (F)	0.01*
179.	Tebuconazole (R)	0.02*
180.	Temephos	0.01*
181.	Tetraconazole (F)	0.02*
182.	Tetracycline hydrochloride	0.01*
183.	Thiabendazole (R)	0.05*
184.	Thiacloprid	0.01*
185.	Thiamethoxam (sum of thiamethoxam and clothianidin expressed as thiamethoxam)	0.01*
186.	Thiobencarb (4-chlorobenzyl methyl sulfone) (A)	0.01*
187.	Thiodicarb (see Methomyl)	0.01*
188.	Thiometon	0.01*
189.	Thiocyclam	0.01*
190.	Thiophanate-methyl (R)	0.10*
191.	Tolfenpyrad	0.01*
192.	Transfluthrin	0.01*
193.	Triadimefon and triadimenol (sum of triadimefon and triadimenol) (F) will be amended as Triadimenol (any ratio of constituent isomers) by SANTE/10781/2016	0.10*
194.	Triazophos (F)	0.01*
195.	Trichlorfon	0.01*
196.	Tricyclazole	0.01*
197.	Tridemorph (F)	0.01*
198.	Trifloxystrobin (A) (F) (R)	0.01*
199.	Trifluralin	0.01*
200.	Uracil	1.00†

टिप्पणी:

* http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=substance.selection

के अनुसार LOQ (मि.ग्रा/कि.ग्रा) पर ई.यू-एम.आर.एल को निश्चित किया गया है।

† यह प्राकृतिक उत्पाद हैं। इन रसायनों के लिए ई.यू-एम.आर.एल मौजूद नहीं है।

अतः, उनके एम.आर.एल को अंगूरों के लिए एन.आर.सी की राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला पर विकसित और विधिमान्य प्रणाली के LOQ पर निश्चित किया गया है।

#संदर्भ: 19 दिसंबर, 2006 का आयोग अधिनियम (ई.सी) सं. 1881/2006

अवशिष्ट विश्लेषण प्रमाण-पत्र (प्राधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा जारी किया जाएगा)

- 1) किसान का नाम और पता
- 2) निर्यातक का नाम और पता
- 3) फार्म/प्लॉट पंजीकरण संख्या
- 4) फार्म/प्लॉट की लोकेशन
- 5) इस रिपोर्ट के द्वारा कवर किया गया फार्म/प्लॉट का क्षेत्र
- 6) इस रिपोर्ट [संलग्नक-3 (क्षेत्र उद्देश्य के लिए) और संलग्नक-4 (ख) के आधार पर आकलन] द्वारा कवर किए गए फार्म/प्लॉट का कुल संभावित उत्पादन [मीट्रिक टन में]
- 7) फ़सल का नाम और किस्म
- 8) सैम्पल विवरण
 - (क) सैम्पल के निकाले जाने का स्थान और तिथि
 - (ख) सैम्पल की मात्रा
 - (ग) पैकिंग
 - (घ) सैम्पल कोड सं.
- 9) प्राधिकृत प्रयोगशाला के उस प्रतिनिधि का नाम जिसने सैम्पल को निकाला है
- 10) सैम्पल निकालने की तिथि
- 11) प्रयोगशाला में सैम्पल की प्राप्ति की तिथि
- 12) विश्लेषण समाप्त होने की तिथि
- 13) पैकहाउस पंजीकरण संख्या और उसकी वैधता (यदि लागू हो)

क्र.सं.	रसायनों का नाम	ई.यू एम.आर.एल (मि.ग्रा/कि.ग्रा)	अवशिष्ट तत्व (मि.ग्रा/कि.ग्रा)	निर्धारण की सीमा (एल.ओ.डी) (मि.ग्रा/कि.ग्रा)	विश्लेषण की पद्धति	विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

प्रमाण-पत्र

1) यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकरण सं. _____ के फार्म से हमारे प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सैम्पल लिया गया था और इसे हमने विश्लेषण किया है। सैम्पल को उपरोक्त वर्णित

रसायनों के अवशिष्टों के लिए जांच किया गया था और सैम्पल में अवशिष्ट पदार्थ उपरोक्त दी गई तालिका 4 में दिए गए हैं।

2) इस प्रयोगशाला की एपीडा मान्यता वर्तमान तिथि के अनुसार मान्य है।

परिणाम: सैम्पल, उपरोक्त सूचीबद्ध रसायनों के संबंध में/ असंबंध में एम.आर.एल आवश्यकताओं के अनुरूप है(जो लागू है उसे चिन्हित करें)।

दिनांक:

मुहर के साथ अधिकृत प्रयोगशाला अधिकृत
हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

स्थान:

अनार निर्यात के लिए सी.ए और एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र के अनुदान हेतु दिशा-निर्देश

एगमार्क के अंतर्गत फलों और सब्जियों के एगमार्क प्रमाणीकरण को प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के पास फलों एवं सब्जियों की ग्रेडिंग हेतु ऑथराइज़ेशन प्रमाण-पत्र (सी.ए) होना आवश्यक है। फलों एवं सब्जियों की ग्रेडिंग एवं विपणन नियम, 2004 में निहित प्रावधान लागू होंगे।

1. सी.ए अनुदान हेतु प्रक्रिया

1. एगमार्क के अंतर्गत फलों और सब्जियों के एगमार्क प्रमाणीकरण को प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा प्रोफॉर्मा - 1 में निर्धारित विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डी.एम.आई) के संबंधित कार्यालय में आवेदन किया जाए।
2. संलग्नक-क में निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन के साथ संलग्न किया जाए।
3. आवेदन के साथ सी.ए प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 1000/- रूपए के मांग ड्रॉफ्ट को संलग्न किया जाए।
4. सी.ए के अनुदान के लिए आवेदक का अपना परिसर (उसके द्वारा खरीदा गया या किराए पर लिया गया) हो सकता है। वह ए.पी.सी पैकहाउस, निजी/कूप पैकहाउस आदि की सामान्य सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। संलग्नक-ख में परिसर की न्यूनतम आवश्यकताएं दी गई हैं। आवेदन के साथ इस प्रकार की व्यवस्था का विवरण दिया जाए। इस प्रकार की व्यवस्थाओं का विवरण एपीडा द्वारा अनुमोदित पैकहाउसों द्वारा नहीं दिया जाएगा।
5. डी.एम.आई के संबंधित कार्यालय द्वारा दस्तावेजों को आगे बढ़ाया जाएगा, प्रस्तावित परिसरों का निरीक्षण किया जाएगा और पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर सी.ए अनुदान किया जाएगा। एपीडा अनुमोदित पैकहाउस की स्थिति में परिसरों के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की स्थितियों में पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर सी.ए अनुदान जारी कर दिया जाएगा।
6. प्रत्येक कंटेनर पर ग्रेड डेसिगनेशन मार्क (एगमार्क अधिचिन्ह) सुरक्षित रूप से चिपकाया या मुद्रित किया जाए। निर्यात में प्रत्येक कंटेनर की गणना की जाती है इसीलिए प्रत्येक कंटेनर पर प्रतिकृति सीरियल नंबर होना आवश्यक नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं है कि एगमार्क अधिचिन्ह को निदेशालय द्वारा मंजूरी दिए गए प्रिंटिंग प्रेस में मुद्रित किया गया हो।

- ii. यूरोपीय संघ के देशों से अनारों के निर्यात के लिए एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र (सी.ए.जी) प्राप्त करने की प्रक्रिया।
1. सी.ए धारक द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा (संलग्नक-ग) में अनारों के लॉट हेतु सी.ए.जी के अनुदान के लिए डी.एम.आई के संबंधित कार्यालय को सूचना के अंतर्गत अनुमोदित किसी प्रयोगशाला में से एक को कंसाइन्मेंट का विवरण देते हुए आवेदन किया जाए। संलग्नक (i) और संलग्नक (ii) में क्रमशः डी.एम.आई और अनुमोदित प्रयोगशालाओं की सूची दी गई है।
 2. सी.ए धारक द्वारा प्रति कंसाइन्मेंट न्यूनतम 200/- रूपए के अधीन एफ.ओ.बी का 0.1% प्रयोगशाला देय को ग्रेडिंग शुल्क के लिए मांग ड्राफ्ट भेजा जाए। एफ.ओ.बी मूल्य 93.20 प्रति कि.ग्रा निर्धारित की गई है। प्रयोगशाला द्वारा हर दो सप्ताह में डी.एम.आई के संबंधित कार्यालय को ग्रेडिंग शुल्क भेजा जाएगा। ऐसा न करने पर एक बार चेतावनी देने के पश्चात संबंधित प्रयोगशाला के लिए सॉफ्टवेयर को ब्लॉक कर दिया जाएगा।
 3. सी.ए धारक द्वारा अनुमोदित परिसरों में निरीक्षण के लिए लॉट प्रस्तुत किए जाएंगे। कंसाइन्मेंट को उपयुक्त पैकिंग बॉक्स में पैक किया जाएगा। अनुमोदित परिसर की ग्रेडिंग और छँटाई लाइन पर भी निरीक्षण किया जा सकता है।
 4. सी.ए धारक द्वारा हवाई अड्डे/ बंदरगाह पर निरीक्षण और ग्रेडिंग के लिए लॉट प्रस्तुत किया जा सकता है। लॉट का आकार 5 मीट्रिक टन वज़न से अधिक न हो।
 5. अनुमोदित प्रयोगशाला के अनुमोदित केमिस्ट द्वारा सैम्पलिंग योजना (संलग्नक-घ) के अनुसार सैम्पल निकाला जाए। उसके द्वारा सैम्पलिंग के लिए चयनित कंटेनरों पर हस्ताक्षर किए जाए।
 6. अनुमोदित केमिस्ट द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सैम्पल का ग्रेड किया जाए और उपयुक्त ग्रेड प्रदान किया जाए। उसके द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा (संलग्नक-ड) में निरीक्षण रिपोर्ट भरी जाए।
 7. निरीक्षण अधिकारी द्वारा कोल्ड स्टोर में निरीक्षण के बाद कंसाइन्मेंट को सील कर दिया जाए। कोल्ड स्टोर में अनारों का तापमान 5-10 डिग्री हो और कोल्ड स्टोर में 90-95% की सीमा की सापेक्ष आर्द्रता हो।
 8. डी.एम.आई निरीक्षण अधिकारी अनुमोदित प्रयोगशालाओं द्वारा की गई ग्रेडिंग का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। उनके द्वारा इन औचक निरीक्षण की निरीक्षण रिपोर्टें भरी जाएंगी। डी.एम.आई के निरीक्षण अधिकारियों का निर्णय अंतिम माना जाएगा। किसी विवाद की स्थिति में सी.ए धारक द्वारा इस मामले को विवाद निपटान समिति के पास भेजा जा सकता है।

9. अनुमोदित प्रयोगशाला के नामित व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में सी.ए.जी जारी किया जाएगा। सी.ए.जी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सी.ए धारक , डी.एम.आई के संबंधित कार्यालय और पी.एस.सी जारी करने वाले प्राधिकरण को भेजा जाएगा।

10. सी.ए.जी जारी होने की तिथि से 15 दिनों तक मान्य होगा। मान्य कारणों से शिपमेंट के 15 दिनों से अधिक देरी होने की स्थिति में सी.ए धारक के अनुरोध पर सी.ए.जी को पुनर्वैधीकरण किया जा सकता है। यह पता लगाने के लिए संबंधित प्रयोगशाला द्वारा पुनः जांच की जाएगी कि क्या कंसाइन्मेंट व्यापार की स्थिति में है और उसकी गुणवत्ता में कोई गिरावट तो नहीं हुई है।

निर्यात ग्रेडिंग हेतु _____ (कमोडिटी का नाम) की ग्रेडिंग और मार्किंग के लिए ऑथराइजेशन
प्रमाण-पत्र के अनुदान हेतु आवेदन

सेवा में,

निदेशक कृषि विपणन परामर्शदाता/
सहायक कृषि विपणन परामर्शदाता/
कनिष्ठ विपणन अधिकारी
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय
_____ (शहर का नाम)

महोदय/ महोदया,

मैं/ हम _____ मै. _____ को कृषि उत्पादन (ग्रेडिंग और अंकन) अधिनियम 1937 के प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ग्रेड डेज़िगनेशन चिह्न के साथ _____ (कमोडिटी का नाम) को प्राधिकरण प्रमाण पत्र के लिए अनुदान प्राप्त करने का/की इच्छुक हूँ/हैं।

मैंने/ हमने ए.पी (जी एंड एम) अधिनियम , 1937 के प्रावधानों , सामान्य ग्रेडिंग और अंकन नियम 1988, उचित कमोडिटी ग्रेडिंग और अंकन नियमों तथा भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या इस कमोडिटी की ग्रेडिंग और अंकन के लिए उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा हम इनका पालन करने के लिए सहमत हैं। आवश्यक विवरण निर्धारित प्रोफार्मा में दिए गए हैं और अपेक्षित दस्तावेज संलग्न हैं।

भवदीय

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान: पद:

दिनांक: मैं _____ के लिए

पावती

मैं. _____ के निर्यात ग्रेडिंग हेतु एगमार्क के अंतर्गत _____ के ग्रेडिंग और अंकन प्रमाण-पत्र के अनुदान के लिए _____ रुपए हेतु दिनांक _____ की डी.डी.संख्या _____ को दिनांक _____ को प्राप्त किया गया है।

(हस्ताक्षर के साथ कार्यालय सील)

**अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन सहित
प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण**

1. समुदाय का नाम और पूरा पता
2. वर्गीकृत होने के लिए प्रस्तावित वस्तुओं के नाम
3. फर्म अर्थात् स्वामित्व / साझेदार/ प्राइवेट लिमिटेड/
पब्लिक लिमिटेड/ पंजीकृत समिति/
सार्वजनिक उपक्रम आदि की स्थिति
(उचित दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें)
4. जिस अवधि में आवेदक ने व्यवसाय किया है
5. फर्म के दो प्रतिनिधियों का नाम और पता जो
ग्रेडिंग कार्य में भाग लेंगे और जो तथ्य में पत्र
व्यवहार करेंगे
(प्रतिरूप हस्ताक्षर को अलग से प्रस्तुत किया)
6. *(क.) आर.बी.आई कोड (यदि कोई है) .,
*(ख.) आयात निर्यात कोड सं . (डी.जी.एफ.टी द्वारा जारी)
(ग.) कमोडिटी बोर्ड (एपीडा आदि) की सदस्यता (यदि कोई है)
7. एस.टी/सी.एस.टी (यदि आवंटित किया गया है)
8. उस परिसर का पूरा पता जहां ग्रेडिंग और अंकन किया जाएगा
9. उपरोक्त परिसर की स्थिति स्वामी/ पट्टेदार
(जो भी लागू नहीं है उस पर चिन्ह लगाएं)

*10. संयंत्र/ परिसर में उपलब्ध मशीन/ पैकिंग मशीन/
कोल्ड स्टोरेज आदि के साथ
उनकी क्षमता का विवरण

क्र.सं.	मशीन का नाम	संख्या	क्षमता
---------	-------------	--------	--------

11. कमोडिटी की ग्रेडिंग से संबंधित अन्य कोई जानकारी

12. व्यापार का नाम (यदि कोई है)

(आवेदक/ अधिकृत व्यक्ति का
हस्ताक्षर)
पद
में के लिए

स्थान:

तिथि:

* यह एपीडा मान्यता-प्राप्त पैक-हाउस की स्थिति में आवश्यक नहीं है।

निर्यात ग्रेडिंग के लिए सी.ए के अनुदान हेतु आवेदन सहित
प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. निर्धारित प्रोफॉर्मा-1 में सी.ए के अनुदान के लिए आवेदन।
2. पत्र-बंध पर फर्म के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर।
- *3. स्वामित्व घोषणा / भागीदारी पत्र / ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम / समाज के उप-कानून आदि की प्रति।
- *4. फर्म के अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सभी आयामों को दिखाते हुए परिसर के ब्लू प्रिंट या सुव्यवस्थित ढंग से खींचे गए स्केच।
5. पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनर द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र जिसमें यह प्रमाणित होगा कि विभिन्न संचालनों में उत्पादों की हैंडलिंग में संलग्न कर्मचारी किसी भी प्रकार के संक्रामक बीमारियों से मुक्त हैं।
- *6. डी.जी.एफ.टी द्वारा जारी आयात निर्यात कोड संख्या की प्रति।
7. यदि एपीडा से पंजीकृत है तो एपीडा पंजीकरण की प्रति।

टिप्पणी: (क.) सभी दस्तावेजों की प्रतियों पर फर्म के अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और स्टैम्प लगा हो।

(ख.) दस्तावेजों की तीन प्रतियां निदेशालय से संबंधित कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएं।

* यह एपीडा द्वारा मान्यता-प्राप्त पैक हाउस की स्थिति में लागू नहीं है।

फलों एवं सब्जियों की ग्रेडिंग हेतु परिसरों में न्यूनतम आवश्यकताएं

1. परिसर साफ एवं स्वच्छ हों।
2. परिसरों के आस-पास के साफ-सफाई हो।
3. परिसर - चमड़े के कारखानों, रासायनिक संयंत्रों, उर्वरक संयंत्रों आदि के आस-पास स्थित न हों।
4. परिसर की दीवारों को ठीक से प्लास्टर किया जाए और दीवारों पर दरारें, छेद, नमी आदि नहीं होना चाहिए। छिद्रित छत उपयुक्त नहीं है।
5. परिसर - कीट, खटमल और कृतक रोधक हो।
6. परिसर - मकड़ी के जाले और मकड़ियों से मुक्त हो।
7. परिसर में उचित जल निकासी की व्यवस्था हो।
8. परिसरों में टी.एस.एस, शुगर-एसिड अनुपात का परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध हो। संलग्नक- (iii) रसायनों, उपकरणों आदि की प्रारूपिक आवश्यकताएं दी गई हैं।
9. परिसर में बागवानी उत्पादों के कूड़े, सड़े हुए, अपशिष्ट के निष्कासन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

सेवा में,

(अनुमोदित प्रयोगशाला का नाम)

विषय: निर्यात हेतु अनार के कंसाइन्टमेंट के लिए एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र (सी.ए.जी) के अनुदान हेतु अनुरोध।

महोदय,

1. मेरे / हमारे पास निर्यात के लिए फल और सब्जियों की ग्रेडिंग और अंकन के लिए _____ तक मान्य अधिकृत प्रमाण पत्र संख्या _____ है।

2. मैं/हम _____ (गंतव्य स्थान) को अनार निर्यात करने के इच्छुक हैं।
कंसाइन्टमेंट का विवरण इस प्रकार है:

क) कीटनाशक अवशिष्ट के लिए प्रयोगशाला जांच विवरण।
प्रयोगशाला का नाम फार्म पंजीकरण सं. जांच रिपोर्ट सं.

ख) पैकिंग विवरण

कमोडिटी डिब्बों की संख्या मात्रा कुल मात्रा एफ.ओ.बी मूल्य
(प्रत्येक डिब्बे में) (मीट्रिक टन में) (रुपए में)

3. मैं/हम आपकी अनुमोदित प्रयोगशाला के माध्यम से निरीक्षण एवं ग्रेडिंग करना चाहते हैं।
उपरोक्त वर्णित कंसाइन्टमेंट का निम्नलिखित स्थानों पर निरीक्षण किया जा सकता है

क) हमारे अनुमोदित परिसरों _____
या ख) हवाई अड्डा/ बंदरगाह _____

4. ग्रेडिंग शुल्क के लिए _____ का मांग ड्राफ्ट अलग से भेजा जाता है।

5. मैं/हम , _____ (गंतव्य स्थान) को निर्दिष्ट अनार के निर्यात को प्रभावित करने का प्रस्ताव करता हूं/ करते हैं और उपरोक्त उत्पाद (1) में निर्दिष्ट पैकहाउस में इन्हें मेरी निगरानी में प्रसंस्कृत और पैक किया गया है।

6. मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त निर्दिष्ट अनार _____ डिब्बों/कार्टनों में भरे हैं और प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट स्पष्ट कर रही है कि अनार में गंतव्य के संबंध में एम.आर.एल से अधिक कीटनाशक अवशिष्ट नहीं हैं।

7. कृपया निवेदन है कि सी.ए.जी जारी किया जाए।

भवदीय

तिथि: _____

()

में

_____ के लिए

टिप्पणी - डी.एम.आई की अनुमोदित प्रयोगशाला और संबंधित कार्यालय को ई-मेल किया जाए।

सैम्पलिंग योजना

लॉट में कार्टून की संख्या	सैम्पल किए जाने वाले कार्टून की न्यूनतम संख्या
100 तक	5
101 से 300	7
301 से 500	9
501 से 1000	12
1001 से अधिक	कार्टून का 1% (न्यूनतम 15)

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के कार्यालयों की सूची

महाराष्ट्र

1. मुम्बई: Dy. A.M.A (उप ए.एम.ए)
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
न्यू सी.जी.ओ , बिल्डिंग
तीसरी मंजिल , न्यू मरीन लाइंस
मुम्बई- 400020
फोन नं. 022- 22036801(डाइरेक्ट), 22032699
फैक्स नं. - 22091103
ई-मेल - dmiromah@nic.in
2. नासिक: श्री पी. पब्बंवार
विपणन अधिकारी
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय ,
न्यू कमल निवास ,
होटल वास्को टूरिस्ट के पीछे
नासिक रोड - 422101
फोन नं: - 0253-2465437
फैक्स नं. - नहीं है
ई-मेल - dmimh05@nic.in
3. सांगली: श्री शिव कुमार ,
विपणन अधिकारी
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय ,
ए.पी.एम.सी सेवा गृह
मार्केट यार्ड ,
सांगली
फोन नं. - 0233-2670629
फैक्स नं. - नहीं है
ई-मेल - dmimh04@nic.in
4. पुणे: _____

विपणन अधिकारी

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,

ग्रेडर्स ट्रेनिंग सेंटर,

बीज भवन , मार्केट यार्ड,

पुणे- 411007

फोन नं.: - 020-24268598

फैक्स नं. - नहीं है

ई-मेल - dmimh07@nic.in

आंध्र प्रदेश

1. हैदराबाद: डॉ. आर.आर. करपाटे
उप कृषि विपणन परामर्शदाता
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय ,
केंद्रीय सदन ,
ब्लॉक-1 , सुल्तान बाज़ार,
हैदराबाद ,
फोन नं.: - 040- 24657446
फैक्स नं. - 040-24731636
ई-मेल - dmihyd@ap.nic.in

कर्नाटक

1. बेंगलुरु: डॉ. गोविंदा रेड्डी
सहायक कृषि विपणन परामर्शदाता
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय ,
ए.पी.एम.सी मार्केट यार्ड ,
एम.जी कॉम्प्लैक्स , यशवंत पुर,
बेंगलुरु- 560022
फोन नं.: - 080-23472924
फैक्स नं. - 080-23473004
ई-मेल - bngdmi@kar.nic.in
- dmimh05@nic.in

निर्यात हेतु फलों एवं सब्जियों की ग्रेडिंग एवं मार्किंग के लिए डी.एम.आई द्वारा अनुमोदित
प्रयोगशालाएं

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम
01	कीटनाशक अवशिष्ट विश्लेषण प्रयोगशाला राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एन.एच.आर.डी.एफ) पी.बी. नं. 61, कनाड़ा बत्ता भवन, 2954-ई, न्यू मुम्बई आगरा रोड, नासिक -422011
02	रिलाएबल एनालेटिकल लेबोर्ट्री प्राइवेट लिमिटेड मनकोली नाका, भिवंडी ठाणे-421302
03	विमता लैब्स लिमिटेड, प्लॉट नं.5, एस.पी बायो-टेक पार्क, जीनोम वैली, शमीरपेत(एम), हैदराबाद-500078
04	एस.जी.एस इंडिया लिमिटेड, 1/509 ए, ओल्ड महाबलिपुरम रोड, गवर्नमेंट हाई स्कूल के सामने, थोराइपक्कम, चेन्नई-600085
05	श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च प्लॉट 14 से 15, सदरमंगला इंडस्ट्रियल एरिया, व्हाइट फील्ड रोड, बेंगलुरु-560048
06	इंटरफील्ड लैबोर्ट्रीज, XIII/1208ए, इंटरप्रिंट हाउस, कोच्चि-682005
07	डेली टेस्ट हाउस, ए-62/3, जी.टी. करनाल रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हंस सिनेमा के सामने, आज़ाद पुर, दिल्ली-110033
08	मै. एर्बो फॉर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड,

	4/9, कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली - 110015
09	मै. नेशनल कोलेटरल मनेजमेंट सर्विसिज़ लिमिटेड, डी.नं.4-7-18/6बी, राघवेंद्र नगर, नाचाराम, हैदराबाद-500076
10	जीयो-केम लैब प्राइवेट लिमिटेड, 36, राजा इंडस्ट्रियल एस्टेट, पहली मंजिल, पुरुषोत्तम खेराज मार्ग, मुलुंद (पश्चिम), मुम्बई-400080
11	पेस्टिसाइड रेसिड्यू टेस्टिंग लैबोरेटोरी कृषि भवन, शिवाजीनगर, पुणे-411005
12	माइक्रोकेम लैबोरेटोरी प्राइवेट लिमिटेड, माइक्रिकेम हाउस, ए-513, टी.टी.सी इंडस्ट्रियल एरिया एम.आई.डी.सी, महापे नवी मुम्बई-400701
13	मै. टी.यू.वी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 814, डेमेच हाउस, दूसरी मंजिल, लॉ कॉलेज रोड, पुणे-411004

अनार में एरिल रंग के मूल्यांकन के लिए आवश्यक रसायन, उपकरण आदि

<p>1. अनार से जूस प्राप्त करने के लिए</p>	<p>(क) मुस्लिन क्लॉथ (ख) सुविधाजनक बंडार (ग) उपयुक्त जूस प्रेस</p>
<p>2. कुल घुलनशील ठोस पदार्थों का निर्धारण</p>	<p>(क) एक कैलिब्रेटेड रेफ्रेक्टोमीटर या हाइड्रोमीटर एक प्रतिशत के दसियों में कैलिब्रेटेड और 200 सेल्सियस पर मानकीकृत उपयुक्त सीमा के एक ब्रिक्स (ख) 00 से 50 डिग्री सेल्सियस का थर्मोमीटर</p>
<p>3. एसिड सामग्री का निर्धारण</p>	<p>(क) 20 मि.ली पिपेट (ख) 50 मि.ली ब्यूरेट (ग) 250 मि.ली कोनिकल फ्लॉस्क (घ) सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, फेनोल्फथैलिन, सोडियम कार्बोनेट, आसुत जल आदि को संग्रहीत करने के लिए लेबल वाली उपयुक्त बोटलें (ङ) A.R. (250 ग्राम) 0.1333 N सॉल्यूशन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड (च) सल्फ्यूरिक एसिड - 0.1333 N घोल बनाने के लिए sp. gr. 1.84 - A.R. 98% pure (500 मि.ली) (छ) एथिल अल्कोहल में फेनोल्फथैलिन, 0.4% (न्यूनतम आकार पैक)। (ज) सोडियम कार्बोनेट 0.1 N (1 लीटर मानक सॉल्यूशन) (झ) आसुत जल</p>

अनार हेतु निरीक्षण रिपोर्ट

1. कमोडिटी का नाम: _____
2. अनुमोदित पैकर का नाम: _____
3. पैक हाउस का पता: : _____
4. लॉट/ट/बैच नं. : _____ 5. शिपिंग चिन्ह (यदि हो) : _____
6. डिब्बों की संख्या _____ x प्रत्येक डिब्बे में मात्रा = कुल मात्रा

मात्रा पैमाने

7. सफाई: _____ 8. मजबूती _____ 9. बाह्य पदार्थ _____
10. कीट: _____ 11. सामान्य प्रकटन _____
12. कीट या बीमारी के कारण होने वाली क्षति _____
13. असामान्य बाहरी नमी: _____
14. बाह्य गंध/स्वाद: _____
15. उच्च/ निम्न तापमान के कारण होने वाली क्षति _____
16. सांचों के दर्शनीय निशान: _____
17. एरिल की स्थिति: : _____
18. एरिल का माप: _____
19. कुल घुलनशील पदार्थ: _____
20. चीनी// एसिड अनुपात: _____
21. आकार में अभाव: _____
22. रंग में अभाव: _____
23. धूप से शुष्क हुई परत में अभाव: _____
24. धब्बा: _____
25. परत में आभाव: _____
26. आकार (ग्राम में वजन): _____
27. ग्रेड सहिष्णुता प्रतिशत: _____
28. टिप्पणी (यदि हो): _____
29. निर्दिष्ट ग्रेड: _____

एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए अनुशंसित/गैर अनुशंसित

(हस्ताक्षर)

अनुमोदित कैमिस्ट और प्रयोगशाला का नाम

तिथि: _____

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Co-operation)
New Delhi, the 14th June, 2004

G.S.R 220. - Whereas the draft of the Fruits and Vegetables Grading and Marking Rules, 2003 were published as required by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) at pages 2065 - 2132 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub section (i) dated 20.9.03 vide GSR 335, dated 3rd September, 2003 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on 21st September, 2003;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), and in super session, of (1) the Pomegranates Grading and Marking Rules, 1937, (2) the Plums Grading and Marking Rules, 1938, (3) the Onion Grading and Marking Rules, 1964, (4) the Banana Grading and Marking Rules, 1980, (5) the Mangoes Grading and Marking Rules, 1981, (6) the Pineapple Grading and Marking Rules, 1982, (7) the Guavas Grading and Marking Rules, 1996 and (8) the Garlic Grading and Marking Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Central Government hereby makes the following rules namely

RULES

1. Short title, application and commencement:-

(i) These rules may be called the Fruits and Vegetables Grading and Marking Rules, 2004.

- (ii) They shall apply to commercial varieties of Fruits and Vegetables.
- (iii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:-

- i) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;
- (ii) "Authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorization to grade and mark Fruits and Vegetables in accordance with the grade standards and procedure prescribed under these rules;
- (iii) "Certificate of Authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorising a person or a body of persons to grade and mark Fruits and Vegetables with the grade designation mark;
- (iv) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) ;
- (v) "Grade designation" means a designation prescribed as indicative of the quality of fruits and vegetables;
- (vi) "Grade designation mark" means the "Agmark Insignia" referred to in Rule 3;
- (vii) "Schedule" means a Schedule appended to these Rules.

3. Grade designation mark - The grade designation mark shall consist of "AGMARK insignia" consisting of a design incorporating the certificate of authorization number, the word "AGMARK", name of commodity and grade designation resembling the design as set out in Schedule - I.

4. Grade Designation and Quality - The grade designation and quality of Fruits and Vegetables shall be as set out in schedules II to XIX.

5. Method of Packing:-

(i) Fruits and Vegetables shall be packed in such a way as to protect the produce properly.

(ii) The materials used inside the package must be new, clean and of a quality such as to avoid causing any external or internal damage to the produce.

(iii) The use of materials particularly of paper or stamps bearing trade specifications is permitted provided the printing or labelling has been done with non toxic ink or glue.

(iv) Fruits and Vegetables shall be packed in each container in compliance with the Recommended International Code of Practice for Packaging and Transport of Tropical Fresh Fruit and Vegetables (CAC/RCP 44-1995) for export and as per the instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser from time to time for domestic market.

(v) The containers shall meet the quality, hygiene, ventilation and resistance characteristics to ensure suitable handling, shipping and preserving of the Fruits and Vegetables. Packages must be free of harmful foreign matter and obnoxious smell.

(vi) Content of each package or lot must be uniform and contain only Fruits and Vegetables of same origin, variety and grade designation.

(vii) The visible part of the contents of the package (if present) must be representative of the entire content.

(viii) Contents of package may have different fruits and vegetables of different varieties/grades as per buyer requirements with proper labelling.

6. Method of Marking and Labelling:-

(i) The grade designation mark shall be securely affixed to or printed on each package in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorized by him in this behalf.

(ii) Following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package namely:-

- (a) Name of the commodity;
- (b) Variety;
- (c) Grade designation;

- (a) Name of the commodity;
- (b) Variety;
- (c) Grade designation;
- (d) Size code (if prescribed);
- (e) Lot/batch/code number;
- (f) Country of origin;
- (g) Net weight/No. of units;
- (h) Name and address of the packer/exporter;
- (i) Best before date (where applicable);
- (j) Storage conditions, if any;
- (k) Date of packing;
- (l) Such other particulars as may be specified by the Agricultural Marketing Adviser.

(iii) The ink used for marking on packages shall be of such quality which may not contaminate the product.

(iv) The authorized packer may, after obtaining the prior approval of the Agricultural Marketing Adviser, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages provided that the same do not indicate quality other than that indicated by

the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.

7. Fruits and Vegetables may be graded and marked as per buyer requirements for exports provided the minimum requirements specified in the relevant Schedule are met.

8. For domestic trade, Fruits and Vegetables shall comply with the residue levels of heavy metals, pesticides, aflatoxin and other food safety parameters as specified in Prevention of Food Adulteration Rules, 1955.

9. Special conditions of certificate of authorization - In addition to the conditions specified under sub-rule (8) of the Rule 3 of the General Grading and Marking Rules, 1988, every authorized packer shall follow all instructions prescribed by Agricultural Marketing Adviser from time to time

SCHEDULE - I

(See rule 3)

Design of Agmark Insignia)



NAME OF COMMODITY -----

GRADE -----

अनार का ग्रेड अभिधान एवं गुणवत्ता

1. अनार, पनाइकाए परिवार के पनिका ग्रेआंटम पौधे की किस्मों (कृषिजोपजाति) से प्राप्त फल हों।

2. न्यूनतम आवश्यकताएं:

(i) अनार:

(क) दिखने में ताज़ा हो;

(ख) जांच में परिपक्व और ठोस हो;

(ग) किसी भी बाह्य दृश्य पदार्थ से स्वच्छ एवं मुक्त हो;

(घ) उपज के सामान्य स्वरूप को प्रभावित करने वाले कीटों से मुक्त हो;

(ङ) कीटों के कारण होने वाली क्षति से मुक्त हो;

(च) छिलके के टूटने, यांत्रिक चोट/ रगड़, धुंधला होने से मुक्त हो;

(छ) कोल्ड स्टोरेज से हटाने के बाद संक्षेपण को छोड़कर असामान्य बाहरी नमी से मुक्त हो;

(ज) किसी भी बाह्य गंध या स्वाद से मुक्त हो;

(झ) किसी भी स्पष्ट दोष से मुक्त हो;

(ii) अनार सड़े हुए या विकृत ना हों जिनके कारण वह उपभोग के लिए अनुपयुक्त हों।

(iii) अनार में निर्यात के लिए कोडेक्स एलिमेन्सिस आयोग द्वारा निर्धारित भारी धातुओं, कीटनाशकों और अन्य खाद्य सुरक्षा मानकों के अवशिष्ट स्तरों का अनुपालन किया गया हो।

3. ग्रेड अभिधान हेतु मानदण्ड:

ग्रेड अभिधान	ग्रेड आवश्यकता	ग्रेड सहिष्णुता
1	2	3
अतिरिक्त वर्ग	अनार अच्छी गुणवत्ता के हों। उनका आकार, विकास और रंग विशिष्ट किस्म/व्यवसायिक प्रकार का हो। ये बहुत मामूली सतही विकारों के अपवाद के साथ किसी प्रकार के विकार से मुक्त हो , बशर्ते कि पैकेज में गुणवत्ता और प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए ये विकार उपज, गुणवत्ता के सामान्य स्वरूप को प्रभावित न करें।	अनार की 5% संख्या या वजन ग्रेड के लिए आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं परंतु वह वर्ग । की आवश्यकताओं को पूरा करे या इस ग्रेड की सहिष्णुता के साथ असाधारण रूप से

		आए।
वर्ग I	अनार अच्छी गुणवत्ता के हों। उनका आकार, विकास और रंग विशिष्ट किस्म/व्यवसायिक प्रकार का हो। निम्नलिखित मामूली विकार उपज की सामान्य उपस्थिति, गुणवत्ता, पैकेज में गुणवत्ता और प्रस्तुति को प्रभावित नहीं करते हैं। - आकार में मामूली विकार - रंग में मामूली विकार - छिलके में मामूली विकार (जैसे कि खुरचन, धब्बे, स्क्रेप, दाग) परंतु ये कुल सतह क्षेत्र के 5% से अधिक न हों।	अनार की 10% संख्या या वजन ग्रेड के लिए आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे हो परंतु वह वर्ग II को संतुष्ट करे या इस ग्रेड की सहिष्णुता के साथ असाधारण रूप से आए।
वर्ग II	इस ग्रेड में वह अनार शामिल हैं जिनको उच्च ग्रेड में शामिल करने के लिए गुणवत्ता नहीं है परंतु यह न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। निम्नलिखित दोष हो सकते हैं बशर्ते कि अनार की गुणवत्ता, प्रस्तुति की गुणवत्ता और प्रस्तुति के संबंध में अपनी आवश्यक विशेषताओं को बनाई रखी जाए।	अनारों की 10% संख्या या वजन ग्रेड की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं परंतु न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

4. अन्य आवश्यकताएं

अनारों को सावधानीपूर्वक तोड़ा जाए और किस्म एवं/या वाणिज्यिक और जहां वे उगाए जाते हैं वहां के उचित मानदंडों के अनुसार विकास एवं परिपक्वता की उचित डिग्री तक पहुंचे। अनार का विकास और स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिससे उन्हें सक्षम बनाया जा सके;

- परिवहन और हैंडलिंग का सामना करने के लिए
- गंतव्य स्थान पर संतोषजनक स्थिति में पहुंचने के लिए;

5. प्रस्तावों को आकार देना

आकार को निम्नलिखित तालिका के अनुसार फल के मध्यवर्ती काट के वजन या अधिकतम व्यास द्वारा निर्धारित किया जाता है:

आकार कोड	ग्राम में वजन (न्यूनतम)	मि.मी में व्यास (न्यूनतम)
क	400	90

ख	350	80
ग	300	70
घ	250	60
ङ	200	50

सहिष्णुता आकार:

(क) सभी ग्रेड्स के लिए अनार का 10% या वजन पैकेज के संकेत की तुलना में तुरंत ऊपर और / या नीचे के आकार के अनुरूप होता है।

(ख) प्रत्येक पैकेज में फल के बीच 8 मि.मी की अधिकतम आकार सीमा की अनुमति है।

संलग्नक-12- इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़

Specimen format of declaration (To be given by the exporter on their letterhead {scanned copy} to the PSC issuing authority/laboratory)

- 1) I,____ resident of _____,have/operate from packhouse having APEDA Packhouse Recognition No. ___ dated ___ valid up to ___and which is located at the following address:
- 2) I/We, hereby, certify that _____ MTs of pomegranates have been procured for export from plot(s) bearing plot registration numbers as given below after drawl of samples as per the procedure prescribed in Annexure - 7 of the Procedures for Export of Pomegranates to the issued by APEDA.
 - a) _____ renewed on _____
 - b) _____ renewed on _____
 - c) _____ renewed on _____ etc.
- 3) The laboratory analysis reports bearing No. _____ dated _____pertains to the pomegranates quantities referred to in para (2) above.
- 4) I/We propose to effect export of the pomegranates referred to above to _____ (destination) and these have been processed and packed under my supervision in the packhouse referred to in para (1) above.
- 5) I/We certify that the pomegranates referred to above are contained in _____ number of boxes/cartons and that the laboratory analysis report establishes that the pomegranates do not contain chemicals residues exceeding the MRLs with respect to the destination, referred to in para (4) above, stated in Annexure - 9 of the Procedures for Export of Pomegranates.
- 6) I/We certify that I/we have satisfied my/ourselves that the relevant EU Regulations as on date as regards the product quality and residues of chemicals have been complied with in respect of the pomegranates referred to above.
- 7) I/We certify that I/we have verified the registration records (as given in the format of Annexure- 2) as well as Annexure - 4(B) of the plot(s) from where pomegranates have been harvested for this consignment and that the plot(s) fulfil(s) the procedure laid down in the Procedures for Export of Pomegranates.
- 8) I/We certify that the consignment covered by this declaration does not contain pomegranates from unregistered plot(s) or from plot(s) whose registration has been cancelled/suspended or from plot(s) that have not cleared the residue tests prescribed by the procedure contained in the Procedures for Export of Pomegranates.
- 9) I/We certify that, as on this date, the NRL has not issued any Internal Alert Information in respect of the samples drawn by them from the pack house (referred to in para - 1 above) and from the farms/plot(s) (referred to in para - 2 above).

OR

It is certified that the NRL had issued an alert for Plot Registration No. _____vide Internal Alert Information No.____ and, subsequently, the same has been revoked vide their Notification No.____after re-sampling.(strike out whichever is not applicable)

- 10) I/We certify that the Agmark inspection of the above consignment has been carried out by____(name of laboratory) and that the CAG No. _____ pertains to the above consignment.
- 11) I/We certify that the above information/declaration is true and correct.

Date:
Place:

Signature of Authorized Signatory
of Exporter/Farmer Name and address

Internal Alert Information

(To be issued by NRL)

Phone: 020-6914245; Fax: 020-6914246; E-mail: nrcgrape@mah.nic.in

Alert Information

Original

Sub: Detection of _____ agrochemicals beyond MRLs

Page:

No__of Pages

1. Name of the commodity and variety :
2. Farm/Plot Registration No. :
3. Code Number of the produce, if any :
4. Date of harvest :
5. Date of sampling :
6. Place of sampling :
7. Period of analysis :
8. Findings of the analysis :

Farm/Plot

Pack-house

..... to

9. Recommendations by National Referral Laboratory

Date :
Place :

Signature of the Coordinator/
Authorized Signatory of NRL
along with seal

1. Concerned Agriculture/Horticulture Officer
2. State Governments
3. All PSC issuing authorities
4. APEDA, New Delhi
5. All authorized laboratories
6. Growers' Federation
7. Farmers' Association
8. Exporters' Association

* * * * *